राजस्थान विधान सभा

४३ वीं बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक–२२ जुलाई, सन् १६५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा–भवन, जयपुर, में ८ बज कर १० मिनट (प्रातःकाल) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ११४०

गहलपुर ग्राम श्री मदनमोहनजी के मन्दिर में रहन

श्री चाँदमल मेहता—क्या देवस्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—(क) क्या यह सही है कि गहलपुर ग्राम श्री मदनमोहनजी के मन्दिर में रहन था ?

(ख) यदि हां, तो रहन की रकम कब जमा हुई ?

(ग) क्या यह सही है कि इस ग्राम पर अब मन्दिर का कब्जा नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (देवस्थान मंत्री)—(क) गहलपुर ग्राम का आधा हिस्सा कर्ज पेटे श्री मदनमोहनजी के मन्दिर के सुपुर्द है।

(ख) सन् १६५० के पश्चात् इस गांव की आय देवस्थान विभाग में जमा नहीं हुई।

(ग) इस ग्राम पर मन्दिर का कब्जा नहीं है क्योंकि तहसील आय वसूल करती है, इसलिए यह तहसील के कब्जे में है।

श्री चाँदमल मेहता—सन् १६५० के बाद इस ग्राम की आमदनी मन्दिर में वसूल नहीं हुई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके लिए वहाँ एक ट्रस्ट बना हुआ है जिसके पास इसकी व्यवस्था थी, वह रकम वसूल नहीं कर सका। अब गवर्नमेन्ट वसूली की कार्यवाही कर रही है।

Page No.2

श्री चाँदमल मेहता—यह ट्रस्ट कब बना ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ट्रस्ट बहुत पहले से बना था पर वह रकम वसूली नहीं कर सका था। जब गवर्नमेन्ट को यह मालूम हुआ तब वसूली की कार्यवाही जारी की गई और अब वसूली हो जावेगी।

श्री चाँदमल मेहता—गवर्नमेन्ट के हाथ में वसूली की कार्यवाही कब आई और वह वसूली की कार्यवाही कब जारी की गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वसूली की कार्यवाही तो बराबर जब से गवर्नमेन्ट के हाथ में आई है तब से जारी है।

श्री चाँदमल मेहता—कब से आई गवर्नमेन्ट के हाथ में ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सन् १९५२ से

श्री चाँदमल मेहता— तब से अब तक वसूली नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या— अब तहसील में रकम जमा है और वसूली की कार्यवाही हो रही है।

श्री चाँदमल मेहता— वह मन्दिर में जमा नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या— इसलिए कि भूतपूर्व राजस्थान राज्य के समय से यह वसूली का काम रेवेन्यू विभाग करता है इसलिए तहसील में जमा होती है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की यह जानकारी में है कि यह रकम तहसील में जमा नहीं है और देवस्थान विभाग की उदासीनता की वजह से जमा नहीं हो पा रही है।

श्री भोगीलाल पंड्या—यह उदासीनता नहीं है, तहसील में जमा नहीं है तो फिर आप ही बताइये कि कहाँ जमा है ?

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की यह जानकारी में है कि इसके सम्बन्धित सभी कागजात सील में रख दिये गये हैं और इसलिए यह रकम प्राप्त करने के लिए देवस्थान के विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरे माननीय मित्र को भी यह सूचना देना चाहता हूँ कि देवस्थान की ओर से कार्यवाही की गई है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की यह जानकारी में है कि ट्रस्टियों ने

Page No.3

[श्री चाँदमल मेहता]

यह माँग की थी कि सम्बन्धित कागजात उन्हें दे दिये जाँय ताकि वसूली की कर्यवाही वे कर सकें पर देवस्थान विभाग ने अपनी सत्ता के अधिकार से ये कागजात देने से इन्कार किया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिन लोगों ने वसूली की नहीं इतने अर्से तक इसलिए उन्ही लोगों को फिर कागजात देने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए कागजात उन्हें नहीं दिये जा सकते। अब गवर्नमेन्ट खुद वसूली करेगी। जिन लोगों ने चार चार साल हो जाने पर भी वसूली न की हो उनको जिम्मेदारी सौंपने से फिर क्या फायदा।

श्री चाँदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता दूं कि माननीय मन्त्री महोदय यह गलत जवाब दे रहे हैं। (विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि) और माननीय मन्त्री महोदय ने इस बारे में कोई ट्रस्टी मुकर्रर नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष—Order please ! rOder !!

श्री जसवन्तसिंह—यह रकम कितनी बड़ी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—२७१५० रूपये - ५ आने - ६ पाई.

श्री अध्यक्ष—The tendency to raise discussions over questions should be discouraged- The member seeks information and if there is any deviation to that he should come and see me.

(विराम)

Next, shri chandmal mehta

प्रश्न संख्या ११४१

भूतपूर्व राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर वाटर वर्क्स बनाने के लिए सिक्योरिटीज़ को ईयरमार्क करना

श्री चाँदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) भूतपूर्व राजस्थान सरकार ने किस किस स्थान पर वाटर वर्क्स बनाने के लिए कितने रूपये की सिकोरिटीज़ को इयरमार्क करने की स्वीकृति प्रदान की थी ?

(ख) उक्त सिक्योरिटीज़ की रकम सम्बन्धित स्थानों में वाटरवर्क्स बनाने के लिए दे दी गई या नहीं ? यदि हां, तो किस किस को कब कब दी गई ?

Page No.4

[श्री चाँदमल मेहता]

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल – (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(क) भूतपूर्व राजस्थान सरकार ने अप्रेल १९४९ में निम्नलिखित स्थानों पर वाटरवर्क्स बनाने के लिए उन स्थानों के सामने अंकित सिक्योरिटीज़ अलोट करने का निश्चय किया था :

(१)	उदयपुर	२०,००,०००)	बीस लाख रुपया
(२)	किशनगढ़	५,००,०००)	पांच लाख रुपया
(३)	बाँसवाड़ा	५,००,०००)	पांच लाख रुपया

(ख) नहीं। उपरोक्त सिक्योरिटीज़ फेमीन रिलीफ फंड में से खरीदी गई। सिक्योरिटीज़ में से इन वाटर वर्क्स योजनाओं के लिए असाइन (Assign) की जाने को थी। लेकिन इससे पूर्व कि उपरोक्त सिक्योरिटीज़ सम्बन्धित वाटर बोर्डों के नाम अलग नामजद होती, वृहत् राजस्थान का निर्माण हो गया। वृहत राजस्थान सरकार द्वारा जो हिसाब देखा गया तो मालूम हुआ ति फेमीन कार्यों पर इन सिक्योरिटीज़ से कहीं अधिक खर्चा हो चुका है; अतः यह निश्चय किया गया कि यह सिक्योरिटीज़ खर्च हो चुकी समझी जावे और इनका दाखला फेमीन रिलीफ में कर लिया जावे। निश्चयानुसार दाखला कर लिया गया और अब सरकार के पास इस कार्य पर खर्च करने के लिए कोई सिक्योरिटीज़ जमा नहीं हैं। सरकार ने शहरों व बड़े कस्बों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए सरकार से म्युनिसिपल बोर्डों को ऋण के रूप में सहायता देने का निश्चय किया है और ऐसी सहायता दी भी जा रही है। कोशिश इस बात की भी है कि किसी तरह भारत सरकार से भी इस सम्बन्ध में सहायता ली जावे।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि सिक्योरिटीज़ को इयरमार्क करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित म्युनीसिपैलिटियों को भी पत्र लिख गए हैं। इसके अन्दर फेमीन में यह रकम वहाँ की दर्ज नहीं है और यह सूचना दी गई है कि यह रकम उनके नाम इयरमार्क कर दी गई है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—शायद मेरे उत्तर को ध्यान से सुना नहीं गया है। मैंने बतलाया है कि फोर्मर राजस्थान सरकार ने ये सिक्योरिटियाँ अलॉट करने का निश्चय किया था और यह सम्भव हो सकता है कि सम्बन्धित म्युनिसिपैलिटियों को चिट्ठियाँ भी लिख दी गई हों, पर अलाटमेंट सिक्योरिटीज़ का ट्रान्सफर नहीं हो सका था। इसी बीच में वृहत राजस्थान बन गया और इसके बनने के बाद इस हिसाब को ठीक तरह से देखा तो मालूम हुआ कि ये सिक्यूरिटियाँ फेमीन के काम में ही खर्च हो चुकी हैं और ये फेमीन रिलीफ की ही सिक्योरिटियाँ थीं।

Page No.5

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की यह जानकारी में है कि राजस्थान का निर्माण होने के बाद भी इसके लिए रकम रखी गई और किशनगढ़ के वाटर वर्क्स के लिए ऑर्डर भी दिया गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरे क्वेश्चन के जवाब में तो यह है कि वृहत् राजस्थान के बनने के बाद हिसाब की जाँच की गई। मैंने यह नहीं कहा कि अमुक तारीख को वृहत राजस्थान बना और उसी दिन हिसाब की जाँच हो गई। बनने के बाद हो सकता है जल्दी या कुछ देर से हिसाब देखा गया तो यह मालूम हुआ कि ये सिक्योरिटियाँ फेमिन रिलीफ की हैं और फेमीन रिलीफ के काम में इससे अधिक रुपया खर्च हो गया है, इसलिए यह रुपया खर्च हुआ समझा जावे।

श्री चाँदमल मेहता—पॉवर हाउस के लिए ऑर्डर दिया गया, यह कागजात देखने से पहले दिया गया था या बाद में ? किशनगढ़ के पॉवर हाउस के लिए पॉवर हैड टेंक खरीदने का जो ऑर्डर दिया गया क्या वह कागजात देखने से पहले दिया गया या बाद में, माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करें ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह अलग प्रश्न है। इसकी सूचना मिलनी चाहिए।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अभी माननीय मन्त्री महोदय ने यह फरमाया कि ये सिक्योरिटियाँ फेमीन रिलीफ फंड से खरीदी गई थीं। जब खरीदी गईं उस पैसे से तो फिर फेमीन में वे कैसे काम आ गईं। माननीय मन्त्री महोदय ने यह फरमाया कि सिक्योरिटियाँ फेमीन रिलीफ से खरीदी गई थीं। खरीदी गई थीं तो फिर फेमीन में ये कैसे खर्च हो गईं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह तो बहुत सीधी सी बात है। ये फेमीन रिलीफ फण्ड के लिए खरीदी गई थीं; अब इतना रुपया फेमीन रिलीफ के काम में इस फण्ड से खर्च हो चुका।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आपके जवाब में अगर यह है कि फेमीन रिलीफ फण्ड के लिए खरीदी गईं, तब तो ठीक है। फेमीन रिलीफ फण्ड से खरीदी गईं, ऐसी अगर बात है तो फिर कैसे खर्च हो गईं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या आपके इस उत्तर से राजस्थान सरकार ने उदयपुर सरकार के निर्णय को रद्द किया, ऐसा समझा जावे ?

(स्पष्ट न सुनाई देने पर श्री पालीवाल को सम्बोधित करते हुए)

श्री अध्यक्ष—इससे भूतपूर्व राजस्थान सरकार के निर्णय को रद्द किया है क्या ?

श्री टीकाराम पालीवाल—रद्द करने का सवाल नहीं है। हिसाब देखा गया और पाया गया कि यह रुपया कहीं अधिक खर्च कर दिया गया है तो इससे उस डिसीज़न को करेक्ट किया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या ओरीजिनल ऑर्डर में ऐसा दर्ज है कि अमुक अमुक सिक्योरिटीज़ खर्च हो जावे तो यह ऑर्डर भी सेट एसाइड हो जावेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसा दर्ज होने की न जरूरत है और न दर्ज ही है। अगर कोई ऑर्डर बिना पूरे फेक्टर्स की जानकारी के हो गया हो तो उसे, बाद में फेक्टर्स की पूरी जानकारी हो जाने पर, रिवाइज किया जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या इससे यह समझा जावे कि राजस्थान सरकार ने पूरे मामले की जब जाँच की तो कोई सिक्योरिटीज़ उस समय उपलब्ध नहीं थीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने बहुत साफ-साफ कहा है कि सिक्योरिटीज़ तो थीं लेकिन जिस फण्ड से खरीदी गईं उस फण्ड का उस ओब्जेक्टिव से अधिक रुपया खर्च हो गया इसलिए वे सिक्योरिटियाँ भी खर्च की हुई समझ ली गईं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो फिर क्या भूतपूर्व राजस्थान सरकार के आदेश में यह लिखा है कि ये जो सिक्योरिटीज़ हैं वे इसके लिए इयरमार्क की जा सकती हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी, ऐसा ही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या वह ऑर्डर वर्तमान सरकार की केबीनेट द्वारा सेट असाइड कर दिया गया है ?

श्री चाँदमल मेहता—किशनगढ़ के वाटरवर्क्स के बारे में भूतपूर्व पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर साहब द्वारा एक पब्लिक मीटिंग में यह ऐलान कर दिया गया था कि यह वाटरवर्क्स बनेगा, क्या यह माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, माननीय अध्यक्ष।

Page No.7

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

Has the Rajasthan Government set aside the order of the former Rajasthan Government ?

(घंटी)

(कुछ विरामके अनन्तर) मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है ।

श्री अध्यक्ष—The Member putting the question has the first right to put supplementaries.

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो इस तरह की सिक्योरिटीज़ को खत्म माना गया उसके सम्बन्ध में संबन्धित म्युनिसिपैलिटीज़ को कोई सूचना दी गई है ।

श्री टीकाराम पालीवाल—यह हैड्स ऑफ दी डिपार्टमेंटस को मालूम होगा ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में किशनगढ़ म्युनिसिपैलिटी ने रिप्रेजेन्टेशन किया साल भर पहले, तो यह जवाब दिया गया कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि इसके पहले एक साल पूर्व इस सम्बन्ध की फाइल जो है वह निकाली गई और उसके संबन्ध में आदेश दिए जाने वाले थे ?

श्री अध्यक्ष—This is the information being given by you and not seeking information.

श्री चाँदमल मेहता—मैं यह चाहूँगा कि माननीय मन्त्री ने जिस तरह से जवाब दिया है, अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह सोचता हूँ कि इस चीज पर बोलने के लिए कहा गया है । साल भर पहले जब रिप्रेजेन्टेशन किया गया था जब आप (श्री पालीवाल) मिनिस्टर नहीं थे उस वक्त यह बतलाया गया कि यह फाइल हमारे सामने आने पर विचार किया, अब यह कहा जा रहा है कि सिक्योरिटीज़ खत्म हो गई हैं । तो क्या वह सिक्योरिटीज़ की रकम माननीय मन्त्री महोदय ने फोरफीट कर ली है या और कुछ । मिनिस्टर महोदय ने उस रकम को किस तरह से खत्म किया है । यह बात कही जा रही है इसलिए मैं यह कहता हूं ।

Page No.8

श्री टीकाराम पालीवाल—फोरफीट नहीं की है। यह रकम फेमीन रिलीफ में खर्च हो गई है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मैं यह जानना चाहूँगा कि यह रकम फॉर्मर राजस्थान ने खर्च की फेमीन में या वृहत राजस्थान ने।

श्री टीकाराम पालीवाल—यह मेरे पास सूचना नहीं है कि किस तरीके से खर्च हुआ। तीस मार्च से पहले ही होगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रश्न वर्तमान राजस्थान सरकार पर आ जाता है, अगर उन्होंने किया है।

श्री अध्यक्ष—Demarcation is difficult.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष—It is continuous.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, he sid that the question does not arise. Has the Rajasthan Government set aside the order which was based by the former Rajasthan Government or not; otherwise that order legally still exists ?

श्री टीकाराम पालीवाल—Really this question does not arise after I have replied.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is for the Hon'ble Speaker to decide. The answer is either in the negative or in the affirmative, it is not known. Has the Rajasthan Government by a cabinet decision set aside the earlier Order or not ?

श्री टीकाराम पालीवाल—I can give information and not understanding.

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो यह समझा जायगा कि इसके बारे में कोई सूचना नहीं है सरकार के पास में।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—श्री चाँदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ११४२

अराई तहसील द्वारा कुछ नाडों की नहरों को तुड़वाने की आज्ञा

श्री चाँदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) अराई तहसीलदार ने पिछले १ साल में कितने नाडों की नहरें तुड़वाने की आज्ञा दी ?

(२) इस प्रकार नाड़ों की नहरें तुड़ाने की अनाधिकार चेष्टा करने पर तहसीलदार को क्या सजा दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(१) जनता तथा पंचायत बोर्डों की माँग पर सरकार ने तालाब का पानी रोकने के लिए ७ नाडों की नहरों को तुड़ाने का हुक्म दिया था।

(२) इसमें अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि इन सात नाडों की नहरों को तोड़ा गया है ! उनके अलावा जहाँ पंचायतों द्वारा कोई माँग नहीं थी, फिर भी वहाँ पर तहसीलदार ने अपनी इच्छा से तोड़ा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि मन्त्री महोदय ने जो सूचना एकत्रित की है वह पूरी सूचना एकत्रित नहीं की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि यह पूरी है।

श्री चाँदमल मेहता—मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि जो सूचना दी जा रही है वह गलत दी जा रही है। क्या माननीय मन्त्री महोदय जानते हैं कि कितने नाडे काटे हैं और कितनों की अपीलें चल रही हैं ?

श्री अध्यक्ष—Order Please !

Page No.10

[श्री अध्यक्ष]

I want to bring it to the notice of the Hon'ble Members that if they have any objection to the replies made by the Ministers they can come to me, If they challenge the validity of that reply they can come to me and I will find a solution so that the replies are made.

टीकाराम पालीवाल–If you allow me to say a few words, Sir. I do'nt accept this remark that the replies are not correct. One thing I have to remark is that even those questions which are not necessary are repeated time and again, even when the replies have been made. If the Hon'ble Members do not follow the replies, I do'nt think the Government is at fault.

कु० श्री जसवन्तसिंह—No, Sir, that is not the position.

श्री अध्यक्ष—The difficulty with the Members is that they claim to know much more information than what is being given on the floor of the House.

श्री टीकाराम पालीवाल–Then they have pre-conceived notions about what exactly they want. If such a reply is not given, they think it is not correct.

श्री हरिकृष्ण व्यास—What about my question, sir?

श्री जसवन्तसिंह–One question. अभी आपने फरमाया कि माननीय मन्त्री का क्वेश्चन का जवाब गलत हो तो सदस्य आपके पास आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई मन्त्री यह कहे कि जो कि दूसरे मन्त्री ने जवाब दिया है वह गलत है...

श्री अध्यक्ष—That is a different matter.

श्री जसवन्तसिंह—तो उसका क्या होगा?

श्री अध्यक्ष—That is for the Chief Minister to tackle.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब इस सम्बन्ध में एक क्लेरिफिकेशन और हो जाय तो ठीक हो जाय।

श्री टीकाराम पालीवाल—थोड़ी सी जो समझने की फेकल्टी दी है उसको काम में लाना चाहिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक क्लेरिफिकेशन और हो जाय तो हमें मदद मिलेगी। दरअसल ऐसा हमेशा से हुआ है कि या तो मेम्बर को ज्यादा जानकारी है सम्बन्धित मन्त्री महोदय से अथवा वे

Page No.11

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(मन्त्री) जानकारी को छुपाते हैं। तो क्या कन्फर्मेशन या डिनायल के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं? Can we not make the Government commit itself by asking for information by the denial of particular facts?

श्री अध्यक्ष—There is no question of commitment. The questions are meant for seeking information and it is unparliamentary to say that a particular reply is wrong. The Members should observe decency. If they have any objection to the validity of the replies being made by the Treasury Benches, they can come to me and I will see that the replies are correct. But to say on the floor of the House that a particular reply is wrong or false is unparliamentary and it should not be said so.

श्री हिम्मतसिंह अटरू—यह आपका फरमाना दुरुस्त है......

श्री अध्यक्ष—No more observations. They are very clear. Next.

प्रश्न संख्या ११४३।

किशनगढ़ के यज्ञनारायण अस्पताल में वाटरवर्क्स लगाने के लिये पाइप आदि मेटीरीयल

श्री चाँदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि किशनगढ़ के यज्ञनारायण होस्पिटल में वाटरवर्क्स लगाने के लिये किशनगढ़ स्टेट के वक्त से पाइप आदि मेटीरियल रखा हुआ है?

(२) क्या यह सही है कि ५३-५४ के वर्ष में इस काम के लिए कुछ रकम लेप्स भी हो गई?

श्री टीकाराम पालीवाल—(१) किशनगढ़ के यज्ञनारायण अस्पताल में वाटरवर्क्स लगाने के लिए किशनगढ़ स्टेट के वक्त से कोई पाइप आदि मेटिरियल नहीं रखा हुआ है।

(२) इस कार्यालय से सम्बन्धित बजट हेड में कोई रकम स्वीकृत नहीं हुई थी। मेडीकल डिपार्टमेंट के बजट में कुछ द्रव्य रखा गया था। उसमें कोई बचत नहीं रह सकने के कारण कार्य नहीं कराया गया।

श्री चाँदमल मेहता—क्या आयन्दा इस काम को कराने लिए कोई रकम स्वीकृत की गई है।

श्री टीकाराम पालीवाल—सुनाई नहीं दिया।

श्री चान्दमल मेहता—क्या आयन्दा वाटरवर्क्स के लिए कोई रकम स्वीकृत की गई है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं एक दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में उत्तर दे चुका हूँ कि जिन म्युनिसिपेलिटीज ने ऋणों की माग की उनको ऋण देने का निश्चय किया गया है वाटर-वर्क्स के लिए।

श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष मेरी समझ में नहीं आया है कि किशनगढ़ के अस्पताल में वाटरवर्क्स सरकार कब से बनाने लगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—किशनगढ़ कस्बे के लिए कहा गया है, अस्पताल में नहीं।

कुं०श्री जसवन्तसिंह—क्वेश्चन अगर माननीय मन्त्री जी देखें तो यह मालूम होगा कि क्या यह सही है कि किशनगढ़ के यज्ञनारायण हॉस्पिटल में वाटर वर्क्स लगाने के लिए किशनगढ़ स्टेट के वक्त से पाइप आदि मेटीरियल रखा हुआ है।

आपने जवाब दिया है वाटरवर्क्स के बारे में। मैं जानना चाहूँगा कि अस्पतालों में वाटरवर्क्स कब से लगाने लगी है सरकार ?

श्री टीकाराम पालीवाल-- इसलिये तो मैंने कहा कि यह बात आप उनसे पूछिये कि कब से लगने लगे हैं ?

श्री चाँदमल मेहता—मैं थोड़ी सी एक सफाई चाहता हूँ कि अगर किसी प्रश्न के उत्तर की वेलीडिटी के बारे में एतराज हो तब तो आपसे मिलें; तो एतराज यहीं किया जाय या आपके चेम्बर में बाद में किया जाय ? अभी यहीं निवेदन करने के बाद मैं आपसे मिलूं या क्या ? मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

श्री जवानसिंह—बात तो सही है कि एतराज यहीं किया जाय और बाद में आपसे मिलें।

श्री अध्यक्ष--अधिकृत जवाब दिया गया है। जिस पर एतराज हो...

श्री चांदमल मेहता—मैं आपके ध्यान में ला देता हूँ कि यदि मन्त्री महोदय चाहें तो मैं वह मेटीरियल वहां उनको बता सकता हूँ।

(हंसी)

श्री टीकाराम पालीवाल—There is misunderstnding इसके लिए...

श्री अध्यक्ष--अस्पताल में वाटर वर्क्स पर मालुमात का था।

(मूल प्रश्न देखने के पश्चात्)

[श्री अध्यक्ष]

There is no doubt that there is water works in the Hospital.

श्री चांदमल मेहता—मैं एक और सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहूँगा। क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की हालत में है कि उसके लिये ११ हजार रुपये ५-३-५४ को स्वीकृत होने की सूचना हॉसपिटल में पहुँची है लेकिन यह रकम लेप्स हो चुकी है। क्या आप उस अधिकारी के प्रति, जिसने कि यह रकम लेप्स होने दी, कोई कड़ा कदम उठायेंगे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यहाँ फिर मिसअण्डरस्टैंडिंग हुई है। मैंने कहा था वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से वाटर वर्क्स के लिये कोई योजना नहीं है। मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से पाइप लाइन लगाने के लिये मेडिकल डिपार्टमेंट ने निश्चय किया था लेकिन जहाँ तक वाटर वर्क्स विभाग का सम्बन्ध है इसके लिये न कोई बजट ही स्वीकार किया गया और न मेटीरियल ही मंगाया गया। हैल्थ डिपार्टमेंट ने मेटीरियल मंगाया होगा।

श्री चांदमल मेहता—मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय मन्त्रीजी का ध्यान रूल्स ऑफ प्रोसिजर की ओर दिलाना चाहता हूँ। उसके अनुसार यदि किसी मन्त्री महोदय का सम्बन्ध किसी प्रश्न विशेष से नहीं हो तो संबंधित मन्त्रीजी को वह दे देते तो बहुत अच्छा होता। इसका जवाब हैल्थ मिनिस्टर महोदय दे देते तो वैसी हालत में यह बात नहीं उठती कि प्रश्न का जवाब सही है या गलत।

श्री टीकाराम पालीवाल—आपने वाटर वर्क्स की बात कही थी। वाटर वर्क्स का प्रश्न नहीं है।

श्री चाँदमल महता—मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में जो रकम स्वीकृत हुई है उसमें वाटर वर्क्स की बात है, इसलिये मैंने यह प्रश्न भेजा है। यह बात दूसरी है कि उसका सम्बन्ध आप से था या स्वास्थ्य मन्त्री से था। जिनका सम्बन्ध इस प्रश्न से था उनको जवाब देना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—आप जिस मिनिस्टर को एड्रेस करेंगे उन्हीं के पास प्रश्न भेजेंगे। अगर रोंगली एड्रेस्ड होगा तो प्रश्न रिजेक्ट हो जायगा।

प्रश्न संख्या ११४४

जावला ग्राम तहसील, परबतसर के निवासियों द्वारा चारागाह की मांग

श्री चाँदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री महोदय निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जावला ग्राम (तहसील परबतसर) के निवासियों ने चारागाह की कमी की वजह से अपने काश्त की जमीन का हक छोड़कर उसे चारागाह घोषित करने की मांग की है?

[श्री चाँदमल मेहता]

(२) यदि हां, तो उनको यह मांग कब से सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—जी हां, इस प्रकार की दर्ख्वास्त १२-५-५४ को तहसीलदार परबतसर के पास पेश का गई थी। संबंधित व्यक्तियों को पूछने पर उन्होंने जमीन पर से हक छोड़ने से इन्कार किया इसलिये उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि संबंधित व्यक्ति ने तहसीलदार और प्रश्नकर्त्ता के समक्ष यह स्वीकार किया था कि वे यह जमीन चरागाह के लिये देना चाहते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं जो कह रहा हूँ वह बात ज्यादा सही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्रीजी को असली कागज जिस पर की तहसीलदार ने तसदीक किया, वे पेश करने में कोई एतराज है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने अभी अर्ज किया था कि इस प्रकार की दर्ख्वास्त पेश की गई थी, उस पर तहसीलदार ने संबंधित व्यक्तियों को पूछा तो उन्होंने जमीन देने से इन्कार कर दिया। जब मेरे जवाब में यह बात आ गई है कि फलां तारीख को दर्ख्वास्त पेश की गई तब उनको पूछा गया तो उन्होंने जमीन देने से इन्कार किया। अब भी आप उनसे दर्ख्वास्त करा दीजिये, जमीन छोड़दी जायगी ?

श्री चाँदमल मेहता—मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दर्ख्वास्त पेश की गई और उस पर तहसीलदार का नोट है। मेरे सामने किसानों ने पेश की और किसानों ने स्वीकार किया कि चरागाह के लिये जमीन देने को तैयार हैं। इस प्रकार पेश करने के बाद क्या जरूरत पड़ी माननीय मन्त्रीजी को इस प्रकार का जवाब देने की ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—गलत मतलब लगाने का प्रश्न इसलिये नहीं आता कि कोई अपनी जमीन देने को तैयार हो और सरकार उसे न ले, इसमें सरकार को कोई इन्ट्रेस्ट नहीं हो सकता। तहसीलदार के पूछने पर उन्होंने देने से इन्कार कर दिया इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री चाँदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि यह निश्चित चीज है कि दर्ख्वास्त जो दी गई थी वह तहसीलदार के सामने तसदीक हुई। उन्होंने वेरिफिकेशन किया और किसानों ने मंजूर किया। यह मालूम होता है कि वह जमीन जागीरदार की है। जागीरदार शायद नहीं देना चाहता है इसलिये ऐसा कहा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—आप सवाल पूछिये कि तहसीलदार के सामने दर्ख्वास्त हुई या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—दर्ख्वास्त पेश हुई और तस्दीक हुई, लेकिन उन्होंने जमीन देने से इन्कार किया; यह जवाब मेरे उत्तर में आ गया है। अब भी आप तस्दीक करा दीजिये जमीन छोड़ दी जायगी।

प्रश्न संख्या ११४२

मत्स्य राज्य में कोयला, सीमेन्ट व लोहे पर सुपर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़

श्री घासीराम—क्या खाद्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.15

[श्री घासीराम]

(क) क्या यह सही है कि मत्स्य डिवीजन में सरकार बाहर से आने वाले समस्त कोयले, सीमेन्ट व लोहे पर दो पैसा प्रति रुपया "सुपर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज" नामक टैक्स मत्स्य के बिलीनीकरण के बाद भी आज तक वसूल कर रही है ?

(ख) क्या यह सही है कि ऐसा टैक्स राजस्थान के किसी दूसरे जिले अथवा डिवीजन में नहीं है ?

(ग) क्या यह सही है कि अलवर की तेल मिलों से यह टैक्स बड़ी सख्ती के साथ वसूल किया जा रहा है और वहां के डी.एस.ओ. ने रेलवे तथा कस्टम विभाग को टैक्स अदायगी की मुहर के बिना माल पास न होने देने का आदेश दे रखा है ?

(घ) क्या यह सही है कि मत्स्य के कारखानेदार दो वर्ष से इस टैक्स के विरोध में सरकार से प्रार्थना करते आ रहे हैं परन्तु सरकार मामला हर बार विचाराधीन बतलाकर टालती आरही है ?

(ङ) क्या सरकार का इरादा इस टैक्स को हटाने का है ? यदि है, तो कब तक ?

(च) क्या सरकार को पता है कि इस टैक्स के विरोध में मत्स्य के तेल मिल हड़ताल करने की तैयारी कर रहे हैं ?

(छ) सरकार इस संकट को टालने के लिए तुरन्त क्या उपाय काम में लाना चाहती है ?

(ज) क्या कारखानेदार की तरफ से मन्त्री महोदय के पास ऐसा कोई सुझाव आया है कि फिलहाल कर की वसूली रोकने के लिए डी०एस०ओ०, अलवर के नाम स्टे आर्डर्स जारी कर दिये जावें और फाइनल डिसीजन बाद में होता रहे ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय दिया है या देने जा रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (खाद्य मन्त्री)—(क) मत्स्य प्रान्त में बाहर से जानेवाले समस्त कोयले, सीमेन्ट व लोहे पर दो पैसा प्रति रुपया सुपर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लिया जाता था पर अब दिनांक ८-६-५४ से नहीं लिया जाता है।

(ख) मत्स्य के अलावा बीकानेर डिवीजन में लोहे के आयात पर २ रु० प्रतिशत सुपर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लिया जाता था। यह भी अब नहीं लिया जाता है।

(ग) नहीं।

(घ) आवश्यक आज्ञायें जारी की जा चुकी हैं।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) व (छ) ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की व उसके टालने के लिये कोई उपाय करने की अब कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(ज) ऐसी आज्ञा देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती।

श्री घासीराम—प्रश्न लाने के बाद इसे बन्द किया गया या पहले बन्द किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—दो साल से कार्यवाही चल रही थी जब वह कार्यवाही पूरी हो गई तब बन्द हो गया।

श्री अध्यक्ष—The question has accelerated.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह सुपर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज क्या होता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ही होता है। जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है वह टेक्स से वसूल किया जाता है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—फिर एडमिनिस्टेटिव चार्ज क्या होता है? ये 'सुपर एडमिनिस्ट्रेटिव' दो वर्ड्स क्यों इस्तेमाल किये गये हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सुपर्लेटिव डिग्री (superlative degree) होती है।

(हंसी)

श्री घासीराम—सुपर्लेटिव डिग्री और किसी जगह भी है या मत्स्य में ही थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मत्स्य में पहले से ही थी। राजस्थान सरकार ने तो इसे बन्द किया है; इसलिये उसको श्रेय मिलना चाहिये।

श्री घासीराम—मत्स्य पर ऐसी डिग्री क्यों लगाई गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह बात मत्स्य वाले जानें, उन्होंने ही लगाई थी।

प्रश्न संख्या ११४६

सन् ५३-५४ में किशनगढ़ पॉवर हाउस द्वारा कुछ कारखानों में पॉवर कनेक्शन

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चाँदमल मेहता]

१. सन् ५३-५४ में किशनगढ़ पॉवर हाउस द्वारा कितने कारखानों को पॉवर कनेक्शन देना स्वीकार किया गया ?

२. इन कारखानों से कितना रुपया वसूल किया गया ?

३. क्या यह सही है कि इन कारखानों में से किसी को भी पॉवर नहीं दिया जाता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)— १. सन् ५३-५४ में दो कारखानों को पॉवर कनेक्शन दिए गए, कुल मिलाकर १२ कनेक्शन थे।

२. इन सब कनेक्शनों से कुल मिलाकर २२१८ रु० ७ आ० ६ पाई वसूल किया गया।

३. पॉवर जैसी उपलब्ध होती है उस प्रकार इस सबको बिजली दी जाती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ज्योंही पॉवर उपलब्ध हुआ उनको कनेक्शन देना स्वीकार किया गया और रुपए वसूल किए गए ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह सही नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—अब उनको पॉवर नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री टीकाराम पालीवालसप्लाई रेगुलर नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—सप्लाई रेगुलर कब तक होने की आशा की जा सकती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—पॉवर हाउस ठीक होने पर।

श्री चांदमल मेहता—पॉवर हाउस को बिना ठीक किए क्या पॉवर देना उचित था ?

श्री अध्यक्ष—No question of उचित or अनुचित।

(चुप्पी)

श्री जसवन्तसिंह—यह पॉवर हाउस सरकार द्वारा चलाया जाता है या प्राइवेट एजेन्सी द्वारा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सरकार द्वारा चलाया जा रहा है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यदि सरकार द्वारा चलाया जा रहा है तो प्रबन्ध ठीक क्यों नहीं है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—पहले ठीक नहीं था, अब ठीक करने की कोशिश की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या पहले सप्लाई का बिना निश्चित् अन्दाज हुए दूसरों से रुपए वसूल करना वाजिब है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—रुपए सरकार ने वसूल नहीं किए बल्कि लोगों ने खुद आकर जमा कराये हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—You accepted the amount at least क्या यह सही है कि जिन्होंने रुपए जमा कराए थे उनके रुपए मंजूर करके सरकार ने अपने पास ले लिए ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जरूर, आप भी देंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि ये रुपए कनेक्शन के मद में जमा किए गए ?

श्री टीकाराम पालीवाल—हाँ ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जिस वक्त रुपए जमा कराये गए उस वक्त कनेक्शन के लिए रुपए मंजूर किए गए ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी हाँ ।

श्री हरि कृष्ण व्यास—क्या यह समझा जाय कि इतना होते हुए भी कनेक्शन नहीं दिए गए ?

श्री टीकाराम पालीवाल—कनेक्शन दिए गए ।

श्री चाँदमल मेहता—पूरे नहीं दिए गए ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ११४७

धौलपुर के इलाका सरमथरा में पेय जल की कमी

हंसराज जटिया—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि धौलपुर यूनिट के इलाका सरमथरा में पीने के पानी की कमी रहती है ?

(ख) क्या जो कुए सूखे पड़े हैं उनकी चट्टानें बोरिंग मशीन द्वारा तुड़वाकर पानी की समस्या को हल करने का सरकार का विचार है ?

Page No.19

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) हाँ, इस इलाके में कम वर्षा होने के कारण साधारणतया पानी की कमी की शिकायत रही है।

(ख) इस प्रश्न पर विचार किया जायगा।

श्री हंसराज—कब तक विचार किया जायगा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जल्दी ही।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११४८

सन् १९५१ से ५४ तक कुओं पर आदिवासियों को दी जाने वाली रकम

श्री लक्ष्मण हीरात—क्या आदिवासी मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे;

(क) सन् १९५१, ५२, ५३ व ५४ में जो रकम कुओं पर आदिवासियों को दी गई उनमें हर वर्ष कितनी २ खर्च की गई और कितनी कितनी हर वर्ष लेप्स हो गई? कृपया साल वार आँकड़े बताने का कष्ट करें।

(ख) उपरोक्त सालों में भारत सरकार ने कितनी रकम दी और राजस्थान सरकार ने कितनी दी? कृपया अलग अलग आंकड़े बताने का कष्ट करें।

(ग) हर वर्ष इतनी अधिक रकम लेप्स होने का क्या कारण है? क्या यह सही है कि हर वर्ष साल के अन्त में रकम दिलाने की कार्यवाही की जाती है इसलिये अधिक रकम प्रति वर्ष लेप्स होती है?

(घ) उदयपुर जिला के सराड़ा, सलूम्बर, खेरवाड़ा, फलासिया तथा कोटड़ा तहसीलों में कमप्रेशर मशीन से कितने कूए खुदवाये गये? कृपया तहसीलवार आंकड़े बताने का कष्ट करें।

श्री भोगीलाल पण्ड्या (देव स्थान मन्त्री)—(क) इसका विवरण निम्न प्रकार है:

सन्	रकम जो दी गई	रकम जो लेप्स हुई
१९५१–५२	चार लाख बीस हजार	......
१९५२–५३	चार लाख बयासी हजार छः सौ पिचानवे।	आठ हजार चार सो छयानवे
१९५३–५४	छः लाख रुपये	सूचना एकत्रित की जा रही है

ख.

सन्	भारत सरकार की धन-राशि	राजस्थान सरकार की धन-राशि
१९५१-५२	दो लाख रुपये	दो लाख बीस हजार
१९५२-५३	दो लाख बयासी हजार छः सौ चौरानवे	दो लाख रुपये।
१९५३-५४	चार लाख रुपये	दो लाख रुपये।

ग. उपर्युक्त विवरण से प्रगट होता है कि केवल ८,४१६ की रकम लेप्स हुई है। यह रकम अधिक नहीं है। फिर भी सरकार प्रयत्नशील है कि सारी रकम का समय पर ही उपयोग हो जाया करे।

घ. वहां कम्प्रेशर मशीन नहीं है।

श्री कंवर लाल जेलिया--राजस्थान सरकार ने जो रकम खर्च की है क्या वह सिर्फ शिड्यूल्ड एरिया के आदिवासियों के लिये ही खर्च की है या राजस्थान के सभी डिविज़न्स के आदिवासियों के लिये खर्च नहीं की गई?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—नहीं, सारे राजस्थान के सभी डिविज़न्स के आदिवासियों के लिये खर्च नहीं की गई, वह तो भारत सरकार द्वारा राजस्थान के शिड्यूल्ड एरिया के आदिवासियों के लिये ही दी जाती है और वह वहीं के आदिवासियों के लिये खर्च की गई।

श्री कंवर लाल जेलिया—क्या राजस्थान सरकार ने भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि राजस्थान के और डिविजनों में भी इस किस्म के आदिवासी बसते हैं?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—राजस्थान सरकार ने प्रयत्न किये हैं और माननीय सदस्य इसे अच्छी तरह जानते हैं, अतः इसको नहीं पूछते तो ठीक था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय सदस्य को जानकारी है तो इसका क्या यह मतलब है कि सदन को जानकारी आवश्यक नहीं है? सदन को भी जानकारी करानी चाहिये।

श्री भोगीलाल पण्ड्या—पहले तो इसका प्रश्न ही नहीं उठता था, फिर भी मैंने जवाब दे दिया था।

श्री कंवरलाल जैलिया—माननीय अध्यक्ष, मैं तो मेरे द्वारा राजस्थान के अन्य आदिवासियों की दिलचस्पी के लिये व जानकारी के लिये माननीय मन्त्री जी से इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ।

श्री भोगीलाल पण्ड्या—राजस्थान सरकार किशनगढ़ शाहाबाद के एरिया को शिड्यूल्ड एरिया में शामिल करने के लिये भारत सरकार को सिफारिश कर चुकी है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११४६

राजस्थान के भूमिहीन आदिवासियों को भूमि दिलाना

श्री लक्ष्मण हीरात—क्या आदिवासी मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राजस्थान में भूमिहीन आदिवासी कितने हैं और उन्हें भूमि दिलाने के लिये सरकार द्वारा क्या २ प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—सर्वे किया जा रहा है। भूमि वितरण के समय आदिवासियों का विशेष ध्यान रखने का आदेश भेजा जा चुका है।

प्रश्न संख्या ११५०

श्री अध्यक्ष—श्री शिवदान सिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये।)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री हंस राज।

प्रश्न संख्या ११५१

धौलपुर यूनिट में जल कष्ट निवारणार्थ बोरिंग मशीन का प्रबंध

श्री हंसराज—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

क्या यह सच है कि धौलपुर यूनिट में बिना पानी के कृषि पूरी तौर से नहीं होती है ? बोरिंग मशीन द्वारा पानी क्यों नहीं निकाला गया है ? अब कब तक इसका प्रबन्ध हो जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)— इस इलाके में पानी की कमी की शिकायत राजस्थान सरकार के पास हुई है। मशीन की मांग नहीं आने से नहीं भेजी गई। अब मशीन की मांग आने से यदि उपलब्ध हुई तो भेजा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११५२

राजस्थान के पिछड़े आदिवासियों की शिक्षणिक, आर्थिक तथा समाजिक उन्नति

श्री दीनबन्धु परमार—क्या दलित वर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे;

(क) राजस्थान के कौनसे हिस्से में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए आदिवासी हैं ? क्या उनको

[श्री दीनबन्धु परमार]

सरकार की ओर से कोई आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक उन्नति की मदद मिली ? हाँ, तो कितनी और किस किस मद में ?

श्री भोगीलाल पण्डया—(१) राजस्थान में आम तौर पर आदिवासी सब ही स्थानों के पिछड़े हुए हैं। मुख्यतः निम्न स्थानों के आदिवासी अधिक पिछड़े हुए हैं :

जिला उदयपुर, जिला डूँगरपुर, जिला बांसवाडा, जिला चित्तौडगढ़ में प्रतापगढ़ सब डिविजन, जोधपुर डिविजन में जिला पाली और सिरोही के कुछ हिस्से।

२. हां।

३. सन् १९५३-५४ में पिछड़ी-जाति-कल्याण-विभाग द्वारा १२,५५,०५७ रु० १ आ० ६ पा० निम्न प्रकार अनुमानिक व्यय हुआ :

आर्थिक उन्नति पर... ३,३५,४५७ रु० १४ आ०

शैक्षणिक उन्नति पर ... ८,७०,४१४ रु० ३ आ० ६ पा०

सामाजिक उन्नति पर ... ४९,१८५ रु०

कुल : १२,५५,०५७ रु० १ आ० ६ पा०

श्री दिलीप सिंह—ऐक्सपेंडीचर का केपिटा क्या रहा ?

श्री भोगीलाल पण्डया—केपिटा अलग अलग है। शिडयूल्ड एरिया में केपिटा २ रुपया आ जाता है।

एक माननीय सदस्य—राजस्थान में कौन कोन से इलाके के आदिवासी पिछड़े हुए नहीं हैं ?

श्री भोगीलाल पण्डया—मैं अपने प्रश्न में उत्तर दे चुका हूँ।

वही माननीय सदस्य—माननीय मन्त्री ने प्रश्न के उत्तर में यह बताया है कि कहां कहां के आदिवासी अधिक पिछड़े हुए हैं और मेरा प्रश्न यह है कि राजस्थान के किस किस इलाके के आदिवासी पिछड़े हुए नहीं हैं ?

श्री भोगीलाल पण्डया—माननीय सदस्य से मैं यह जानना चाहूँगा कि आपको यह भी मालूम है कि राजस्थान में आदिवासी कहाँ कहाँ है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो रुपया खर्च हुआ उसमें से डूँगरपुर में कितना खर्च हुआ ?

श्री भोगीलाल पण्डया—आबादी के लिहाज से खर्च किया जाता है, किसी जिले के नाम से प्रश्न करना कि उस जिले में कितना खर्च किया गया, यह वाजिब चीज नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—गैर वाजिब है या वाजिब है, यह मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मैं तो इत्तला चाहता हूँ कि डूँगरपुर जिले में कितना खर्च हुआ ?

श्री भोगीलाल पण्डया—अलग से प्रश्न पूछिये तो मैं अलग अलग जिलों का, तहसीलों का जोड़ कर बताऊंगा कि कहाँ कितना कितना खर्च हुआ ?

श्री जसवन्त सिंह—इस खर्च से आदिवासियों की कितनी प्रगति हुई ?

श्री भोगीलाल पण्डया—यह तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके लिये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार होगी। राजस्थान सरकार आपके पास वह रिपोर्ट भेज देगी, उससे आपको सब मालूम हो जायगा।

श्री जसवन्त सिंह--एक्सपेन्डीचर पर केपिटा क्या रहा ?

श्री भोगीलाल पण्डया—क्या फरमाया सुना नहीं, फिर से फरमाइये।

श्री जसवन्त सिंह—आपने फरमाया कि आबादी के लिहाज से रुपया दिया जाता है। आदिवासियों में फी आदिवासी कितना रुपया दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बताया था कि २ रुपया पर केपिटा पड़ता है।

(श्री हरिकृष्ण व्यास बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—डूँगरपुर के बारे में तो नहीं पूछ रहे हैं ? (हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं साहब, मैं पाली जिले के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या पाली जिले में भी दो रुपया पर केपिटा से एक्सपेन्डीचर किया जाता है।

श्री अध्यक्ष—This does not concern this.

श्री भोगीलाल पण्डया—इस सवाल का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या इस खर्च का राजस्थान के सभी डिविज़न्स के आदिवासियों पर असर पड़ा है ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—भारत सरकार से, जिनके लिए कि रकम मिली थी उन्हीं पर इसका असर हुआ; जिनके लिए नहीं मिली वे रह गए।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री शिवदान सिंह। (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ११५३

श्री अध्यक्ष—श्री शिवदानसिंह।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

प्रश्न संख्या ११५४

गंगानगर जिले में मामला न देने के कारण गिरफ्तारियें

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु-क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देनेकी कृपा करेंगे:

(क) गंगानगर जिले में मामला न देने के कारण कितनी गिरफ्तारियाँ हुई और जेल में रहते हुए कितना और किस प्रकार का खर्चा हुआ ?

(ख) क्या यह खर्चा सरकार ने उनकी इच्छा से किया है ?

(ग) यदि हां, तो और जो खर्चा वसूल किया जा रहा है वह क्या है और किस प्रकार का है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह जेल विभाग से सम्बन्धित प्रश्न है, इसलिये इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—यह रेवेन्यू के ताल्लुक का सवाल है, जेल विभाग से ताल्लुक रखने वाला प्रश्न नहीं है। खर्चा वगैरह सब रेवेन्यू विभाग द्वारा मेन्टेन किया जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कितने पकड़े गये, कितने नहीं पकड़े गये; यह सब जेल विभाग से ताल्लुक रखने वाला सवाल है।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—रेवेन्यु विभाग इसको होल्ड करता है।

श्री अध्यक्ष—The reply will be given by the Minister concerned on his next turn.

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of information, Sir, certificate, issued under the Public Demands Recovery Act by the collector; would it not come under the Revenue ?

श्री अध्यक्ष—The reply will come on the date allotted.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The difficulty is that the expenses incurred in the Jail are now being recovered from the persons who were taken to Jail, and that

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

recovery is being made by issuing certificates by the Collector under the Public Demands Recovery Act. The question is not as to which department the expenditure related but the proceedings in connection with the recovery are being taken up by the collector and that is why it legitimately comes under the Revenue Department.

श्री अध्यक्ष—(अश्रव्य)

(श्री एच. के. व्यास व सरदार गुरुदयालसिंह दोनों एक साथ बोलने को खड़े हुए)

एक साहब बोले।

सरदार श्री गुरुदयालसिंह—जो-जो गिरफ्तारियाँ रेवेन्यू एक्ट के माफिक हुई हैं वे रेवेन्यू की मार्फत जेलों में रहे हैं और जो कुछ खर्चा उन पर हुआ है वह रेवेन्यू विभाग की मार्फत हुआ है। उनका सारा ताल्लुक रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से है।

श्री अध्यक्ष—I don't see any objection when the Minister says that it will be replied on the next turn. You want reply and it will come on the next turn.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Even if he is not present, I am prepared to give reply on the next turn.

प्रश्न सं० ११५५

श्री अध्यक्ष—श्री शिवदानसिंह।

(प्रश्नकर्त्ता-अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ११५६

धौलपुर स्टोन कम्पनी के ठेके की अवधि की समाप्ति

श्री हंसराज जटिया—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या धौलपुर सब डिविजन से भरतपुर आने के लिए बसेड़ी से कोट, कोट से बयाना,

[श्री हंसराज जटिया]

व बयाना से भरतपुर, जिसमें सिर्फ १० मील ही की सड़क बनानी है ? सीधी सड़क बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११५७

धौलपुर स्टोन कम्पनी के ठेके की अवधि की समाप्ति

श्री हंसराज जाटया—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) धौलपुर स्टोन कम्पनी के ठेके की अवधि समाप्त हुई है या नहीं ?

(ख) यदि कोई अवधि शेष है तो कितनी ?

(ग) अवधि समाप्त हो जाने पर भविष्य में सरकार इस कार्य के संचालनार्थ अपना क्या विचार रखती है ?

(घ) क्या सरकार भविष्य में ठेका हर एक तहसील का पृथक् पृथक् देने का विचार करती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन समय समय पर काम करने की अस्थाई आज्ञा दी गई, जो अभी जारी है।

(ख) ११-७-५४ को अस्थाई आज्ञा समाप्त हो जावेगी।

(ग) व (घ) इस क्षेत्र को विभिन्न टुकड़ों (ब्लॉक्स) में ठेके पर देने का सरकार विचार कर रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि अवधि समाप्त होने के बाद दो बार और एक्सटेन्शन दी गई ?

श्री चन्दनमल वैद—अवधि समाप्त होने के बाद अस्थाई आज्ञा दी गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अस्थाई आज्ञा देने के बजाय उस ठेकेदार से उसे लेकर दूसरों को अलोट करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

Page No.27

श्री चन्दनमल वैद—सारे धौलपुर में किस प्रकार की नीति बरती जाय, इसके लिए कोई नीति निर्धारित करने में समय लगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस प्रकार के क्वेरीज पर और खनिज पदार्थों पर प्लोट बना कर लोगों को दिये गये और भारत सरकार के रूल्स......

श्री अध्यक्ष—It is a matter of policy.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That policy has long been decided.

श्री अध्यक्ष—May be.

श्री हरिकृष्ण व्यास—So, I want to know if that is so why it has not been applied to this ?

श्री अध्यक्ष—It is a question of Government policy.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am not asking regarding the policy changes. I want only to know whether such a policy has been decided or not, only the fact of the decision regarding that policy.

श्री अध्यक्ष—You should not raise such limits in the answer. Rules provide a...

श्री हरिकृष्ण व्यास—This question is supplementary and if you disallow this I ask another supplementary.

(विराम)

क्या यह सही है कि इसके पहले जब मोनोपौली एक्सपायर हुई है तो लोगों को ब्लॉक बना कर दिये हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—यह सही नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दूदूवाले, माईकावाले और दूसरे, सभी की मोनोपोली समाप्त होने पर ऐसा किया गया है ?

श्री चन्दनमल वैद—यह प्रश्न माईका से सम्बन्ध नहीं रखता। यह प्रश्न पत्थर से सम्बन्ध रखता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इन सबका सम्बन्ध माइनिंग विभाग से है और माइनिंग में इस

Page No.28

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

प्रकार के रूल्स हैं। यह रूल माइका में काम में लिया गया, पत्थर और चूने आदि में भी काम आता है।

श्री चन्दनमल वैद्--दोनों में एक तरह की नीति नहीं बरती जाती है।

श्री अध्यक्ष—It is beyond the scope of this question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—How can I make him accept the factual position?

श्री अध्यक्ष—Ask fresh questions, I will allow them.

श्री हरिकृष्ण व्यास—They will need notice.

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या ११५७

जयपुर जिले के लिए १९५०–५१ की खरीफ तथा रबी के यातायात का ठेका

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Civil Supplies be pleased to State :—

(1) To whom and on what rate was the contract for transporting foodgrains for Kharif and Rabi 1950-51 was given for Jaipur District?

(2) When and why was this contract cancelled and with whom and on what rate a subsequent contract entered into?

(3) To what extent the Government had to bear loss due to increased rates of the subsequent contract?

श्री भोगीलाल पंड्या—(१) सन् १९५०-५१ में जयपुर डिस्ट्रिक्ट में खरीफ तथा रबी के गल्ले ढोने का ठेका श्री नारायण भगत को उस समय की शिड्यूल रेट २ पाई पक्के रास्ते, ३ पाई २५ मील से कम तथा ४ पाई कच्चे रास्ते पर प्रति मील, प्रति मन, से २६ परसेंट कम पर दिया गया था।

(२) यह ठेका ३०-५-५१ को आरम्भ होने के लगभग छः मास पश्चात् रद्द करना

[श्री भोगीलाल पंड्या]

पड़ा; क्योंकि ठेकेदार अपनी शर्तों के अनुसार कार्य करने में असफल रहा। फिर ठेका नहीं दिया गया, पर नाज उस समय की शिड्यूल रेट पर गत वर्ष के ठेकेदारों से ढुलाया गया :

१. रामरिख बेनीवाल।
२. दीन मोहम्मद।
३. टोपन दास।
४. लालचन्द।
५. नाजिम हुसेन।
६. प्रकाश एण्ड कम्पनी।

(३) यदि श्री नारायण भगत सुचारु रूप से काम करते रहते और सरकार को काम दूसरों को नहीं देना पड़ता तो यह सम्भव था कि लगभग २८१२४-१३-६ कम खर्च होते परन्तु असल में यदि देखा जाय तो इसमें सरकार को नुकसान कुछ नहीं हुआ; क्योंकि थोड़ा-सा रुपया अधिक खर्च करने से बहुमूल्य नाज बारिश से नष्ट होने से बच गया जो कि श्री नारायण भगत के भरोसे रहने से शायद नष्ट हो जाता। दूसरे, काम शिड्यूल रेट पर ही कराया गया और इस रेट से कम पर काम करने का ठेका श्री नारायण भगत ने बहुत नीची बोली देकर ले लिया था जिसे वे पूरा नहीं कर सके।

श्री भोगीलाल पंड्या—हाँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि अपील मन्जूर हुई और ठेकेदार के ठेके के केन्सलेशन के ऑर्डर सेट एसाइड हुए ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ठेका केन्सल हो चुका है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—No. It is a fact that his appeal was admitted and the orders cancelling his contract were set aside ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि गवर्नमेंट ने जितना पेमेन्ट करना था ठेकेदार को कर दिया और जो चार्ज लगाया गया था वह गलत है, ऐसा उसने दावा किया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जो वाजिब पैसा देना था, उनको दे दिया गया; जिस पर उसको संतोष नहीं हुआ और उसने सी. पी. सी. के अनुसार दावा कर रखा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सवाल यह है कि जो ऑर्डर ठेके के केन्सलेशन का था वह सेट एसाइड हुआ या नहीं।

श्री भोगीलाल पंड्या—ठेके के केन्सलेशन का ऑर्डर सेट एसाइड नहीं हुआ। उसको ५ बार नोटिस माल उठाने के लिए दिया गया मगर उसने तामील नहीं की; तब उसका ठेका केन्सल किया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिस रेट पर यह ठेका दिया गया और दूसरी रेट में जिससे यह गल्ला ढुलाया गया, कितना फर्क है?

श्री भोगीलाल पंड्या—अगर सारा का सारा गल्ला ठेकेदार उठा लेता तो सरकार को ६८१२४/१३/६ अधिक नहीं देने पड़ते। उसको ४ बार नोटिस दिया गया और ५ वीं बार में नोटिस देने पर जब उसने गल्ला नहीं उठया तो गवर्नमेन्ट ने गल्ला उठवाया इससे गवर्नमेन्ट को वर्षा से धान को जो नुकसान होता उसके भरोसे पर रहने से, वह बच गया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(अश्रव्य)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह ठेका पहले ठेकेदार को दिया गया। उसके ठेके के इकरारनामे में कोई शर्तें होंगी कि अगर उसने ठेके की शर्तें पूरी नहीं की तो उसको सजा मिलेगी?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हाँ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—तो उसने जब ठेके की शर्तें पूरी नहीं कीं तो उसको क्या सजा मिली?

श्री भोगीलाल पंड्या—उसको सिक्योरिटी का रुपया, जो सरकार के पास था, नहीं दिया गया।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—कितना रुपया था जो नहीं दिया गया।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं आपको रकम मालूम करके बता देता हूं, मगर उसने इस रकम का दावा कर रखा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस रकम को देने का आदेश सरकार ने दे दिया है?

श्री अध्यक्ष—दावा कर रखा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is a different question. In fact it is true that orders have been issued to give him this security money.

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या ११५६

धौलपुर राजाखेड़ा की सड़क पर किया गया व्यय

श्री हंसराज जटिया—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि धौलपुर से राजाखेड़ा वाली सड़क का काम समाप्त हो चुका है? यदि हाँ, तो उस पर कितना पैसा खर्च हुआ है?

(ख) क्या यह काम ठेकेदारों द्वारा कराया गया है?

(ग) क्या ठेकेदारों ने बौन्ड के अनुसार काम खत्म किया है?

(घ) क्या कोई पेनल्टी, काम समय पर समाप्त न होने के कारण ठेकेदारों से ली गई है? यदि हाँ, तो वह कितनी ली गई है?

(ङ) क्या इस सड़क के बनाने का ठेकेदारों को पेमेंट किया जा चुका है या कोई रकम बाकी है? यदि हाँ, तो वह कितनी है?

श्री टीकाराम पालीवाल—(क) यह सत्य है कि धौलपुरा-राजखेड़ा सड़क का कार्य समाप्त हो चुका है। इस कार्य पर ४,६५,८६२ रुपए खर्च हुए हैं।

(ख) यह कार्य ठेकेदारों द्वारा करवाया गया था।

(ग) समय के अन्तर्गत कार्य पूरा करने की शर्त के अलावा काम शरायतनामे के अनुसार पूरा किया जा चुका है।

(घ) एक सेक्शन के अलावा जिसमें देरी होने का उत्तरदायित्व ठेकेदार पर नहीं समझा गया अन्य ठेकेदारों के प्रश्न अभी विचाराधीन है और जल्दी ही निर्णय हो जावेगा।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(ङ) एक ठेकेदार के अलावा, जिस पर देरी की जिम्मेदारी नहीं समझी गई, अन्य की सिक्योरिटीज़ अभी वापिस नहीं की गई है। यह रकम कुल ३५८८४) रु० की है जो समय के अन्दर काम पूरा न करने के प्रश्न पर निर्णय हो जाने के बाद ही वापिस की जा सकेगी।

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या ११६०

धौलपुर यूनिट के मत्स्य में विलीन होने के पूर्व व पश्चात् आय व जन संख्या

श्री हंसराज जटिया—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) धौलपुर यूनिट के मत्स्य में विलीन होने के पूर्व व पश्चात् उसकी क्या आमदनी व आबादी थी और अब क्या है ?

(ख) क्या धौलपुर को उन्नतिशील बनाये जाने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(ग) क्या यह सच है कि धौलपुर में बेकारी होने के कारण धौलपुर शहर की जन-संख्या कम हो गई है ? यदि उत्तर हाँ में है, तो सरकार इस ओर क्या कदम उठा रही है ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) धौलपुर रियासत की आबादी मत्स्य बनने के पहले सन् १९४१ की मर्दुमशुमारी में २८६९०१ थी और सन् १९५१ में मत्स्य बनने के बाद में धौलपुर सब डिवीजन की आबादी ३०२१२३ थी। आमदनी धौलपुर युनिट के मत्स्य में विलीन होने से पहले ४४२४४२५ रु० थी और सन् १९४७-४८ में भूमि कर से ११६४७५८ रु० की आमदनी हुई।

(ख) प्राचीन रियासतों की राजधानियों को उन्नतिशील बनाये जाने का सवाल सरकार के विचाराधीन है और धौलपुर उनमें शामिल है।

(ग) ऐसी कोई सूचना सरकार के सामने नहीं।

श्री अध्यक्ष--The question hour is over-

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि श्री अर्जुनसिंह डि० नं० ४ ने ता० १६-७-५४ से २३-७-५४ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

विधान कार्य

राजस्थान कृषि-भूमि उपयोग विधेयक, १६५४ (अग्रेतर खण्डश: विचार-विमर्श)

क्लॉज़ ५

श्री श्रीदास गोयल—शार्ट नोटिस क्वेश्चन्स बाकी रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष—क्या आज के ?

श्री श्रीदास गोयल—नहीं, स्टार्ड क्वेश्चन बाकी रह गए हैं।

श्री अध्यक्ष—Starred questions.

श्री हरिकृष्ण व्यास—He is referring probably to the unstarred questions.

श्री श्रीदास गोयल—Starred also (श्री एच. के. व्यास से) I thank you for pointing out his mistake.

श्री अध्यक्ष—The question is that Clause 5 be accepted.

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

Clause 5 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 6, Shri Jawan Singh.

श्री जवानसिंह—संशोधन इस प्रकार है :—

"This clause be deleted.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने धारा ६ को डिलीट करने के लिए अपने संशोधन के द्वारा निवेदन किया है कि यह जो बिल हम पास करने जा रहे हैं वह खेती को मदद देने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पैदायश खेती से की जाय उसमें ऐसा कोई महत्व का सिद्धान्त नहीं है या ऐसी कोई बात कि जिससे इस कानून की खिलाफ वर्जी या इसकी अवहेलना करने से या ऐसी स्थिति पैदा हो जाय कि उस व्यक्ति को कोई सजा दी जाय या उसकी स्थिति खराब है तो उसको और ज्यादा परेशान न किया जाय। इस कानून के जरिए हम एक आदमी को उसकी जमीन से छुड़वा कर दूसरे व्यक्ति को उस पर काश्त करने के लिए हुक्म देते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक आदमी की रोजी को या उसको उसकी जमीन से छुड़ाते हैं या जब उसको उसकी जमीन से बेदखल करते हैं, तब मेरा खयाल है कि हम उस आदमी के खिलाफ जरूरत से ज्यादा कार्यवाही कर रहे हैं। उसको उस जमीन से बेदखल करने में ही शायद उसको हम सजा दे रहे हैं और वैसी सूरत में उस सजा के अतिरिक्त और ऊपर से जुर्माना कर दिया जाय और उससे वसूल करने की कार्यवाही की जाय और खास तौर पर ऐसी परिस्थिति में जबकि उस आदमी के पास जुर्माना देने के लिए जमीन का सहारा भी नहीं रहा कि जिससे कि जुर्माना की रकम अदा हो सके; मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो सजा इस कानून की अवहेलना करने वाले के लिए रखी गई है वह सजा ठीक नहीं है। अगर हम इस क्लॉज़ को हटा लें तो प्रश्न यह पैदा होगा कि जिन आदमियों ने इस कानून की अवहेलना की है और जुर्माना उनके खिलाफ नहीं रखा गया तो हर एक आदमी इस कानून की अवहेलना करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने इस कानून में एक नहीं दो सजायें रखी हैं। पहली सजा यह है कि उस आदमी को उस जमीन से बेदखल कर रहे हैं। शायद एक आदमी के लिए रोजी का सहारा कृषि ही हो और उस आदमी को जमीन से बेदखल करते हैं तो हम उसके खिलाफ, यह एक बड़ी चीज और एक बड़ा कदम उठा रहे हैं और उस आदमी को जिसकी रोजी का जरिया हम छीनते हैं; ऐसी सूरत में मेरा खयाल है कि यह उसको एक बहुत बड़ी सजा है और इस सजा को ही इस कानून के तहत में पर्याप्त मानना चाहिए। अगर वह इस कानून की अवहेलना करता है, वह नहीं मानता है तो वह अपनी जमीन छोड़ देता है और मेरे खयाल से उसके खिलाफ दूसरी कार्यवाही करने की जरूरत नहीं पड़ती। किन्तु परेशानी उस सूरत में और भी बढ़ जायगी कि एक मामूली हैसियत का आदमी, जिसके विषय में कल सदन में काफी कहा गया था, कई कारणों से कोई व्यक्ति दो साल

[श्री जवानसिंह]

तक बराबर खेती न कर सके और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो कि जुर्माना भी अदा न कर सके; क्योंकि केवल मात्र जो जमीन का सहारा था वह भी आपने इस कानून के अन्तर्गत ले लिया है सो ऐसी सूरत में आपने उसको जमीन से बेदखल करने के अलावा भी उस पर जुर्माना रख दिया है। आप ही बतलाईए कि उस कमजोर आर्थिक स्थिति में वह कैसे एक पैसा भी अदा कर सकेगा, उस सूरत में जब कि उस पर कोई जुर्माना किया गया हो। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि उस आदमी को सहारा देने के बजाय उल्टा आप उसके साथ शायद ज्यादती करेंगे और इस सजा के देने के पीछे आपका यह ख्याल होगा कि आप उसको सहारा न दें। आपका दृष्टिकोण नहीं है कि जमीन से ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। आपको यह खयाल है कि सजा इसलिए दे रहे हैं कि दो-तीन साल में वापिस जमीन पर काश्त कर सके। मैं निवेदन करूं कि आप उसको सजा देकर और उस पर जुर्माना करके उसको काबिल नहीं बना सकेंगे कि भविष्य में वह उस जमीन पर काश्त कर सके, बल्कि उसके साथ ज्यादती यह हो जायगी कि वह तीन साल के पश्चात् भी काबिल नहीं हो सकेगा कि वह उस जमीन पर काश्त कर सके। दो साल की सजा, मैं निवेदन करूं कि जरूरत से ज्यादा है। यदि दो साल तक वह काश्त नहीं करता है तो उसको जमीन से बेदखल करने की ही सजा काफी बड़ी है। यह प्रश्न तो आपके सामने उठना ही नहीं चाहिए कि उसके खिलाफ सजा नहीं रखी गई है, जुर्माने की सजा नहीं रखी गई है। यदि आप इन दोनों सजाओं को रखेंगे तो इस कानून की अवहेलना ज्यादा से ज्यादा होगी। यदि आप जमीन से बेदखल कर देंगे और जुर्माना भी कर देंगे तो किसी काश्तकार की यह प्रवृत्ति नहीं होगी कि वह वापिस काश्त करने के काबिल हो जाय। जो कदम आपने उठाया है वह बहुत बड़ा कदम है, उनके जीवन का सहारा छीनने का सवाल है। यह एक बड़ा कदम है और एक बड़ी सजा है। तो दूसरी सजा जो जुर्माने की रखी गई है वह देने की आवश्यकता नहीं और उससे काश्तकार की प्रवृत्ति बढ़ेगी नहीं। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमने जो सजा जमीन से बेदखल करने की रखी है वह काफी भारी मात्रा में है। इसके पीछे माननीय अध्यक्ष, यह खयाल नहीं किया जाय कि मैं उन व्यक्तियों की हिमायत कर रहा हूँ जो इस कानून की अवहेलना करेंगे। मैं काश्तकारों की स्थिति के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उन व्यक्तियों को आप सहारा दीजिए। तीन साल बाद में आप जिसको जमीन से बेदखल कर रहे हैं वापिस वह काबिल हो जाय कि काश्त कर सके और जो जीवन की रोजी है उस पर आगे चलता रहे। मैं निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं, हमारे माननीय मित्र की दलील को समझने में बिल्कुल असमर्थ रहा हूँ। जो पेनेल्टी क्लॉज़ इसमें रखा गया है वह लागू तब होगा जब कि कोई इन धाराओं के अमल में हस्तक्षेप करेगा। अगर वह अपनी जमीन दे देता है काश्त के लिये तो उसको सजा होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता और जमीन दे देना और साथ साथ सजा का हो जाना, दोनों को साथ जोड़ कर जो दलीलें दी गई हैं वे, मैं समझता हूँ फैक्ट को क्लिष्ट करके सदन के सामने रखने का प्रयत्न किया गया है। उनसे जमीन जबरदस्ती छीन ली जायगी, उनको बेदखल कर दिया जायगा, उनको सजा दे दी जायगी; ये सब जो बातें कही गई हैं इनमें से मुझे एक भी बात सही मालूम नहीं देती। सरकार उस जमीन को, जिस जमीन पर काश्त नहीं की जाती

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

है, जो स्वयं जमीन की काश्त नहीं करता है या दूसरों के जरिये नहीं करवाता है या सब लेट नहीं करता, ऐसी जमीन को सरकार दूसरों को काश्त करने लिये दिलवायगी। जो लगान उसको खुद को देना पड़ता था वह दूसरों से दिलवाया जाय। जो जमीन जिसके नाम है उसको पहले मौका दिया जायगा कि वह स्वयं काश्त करे और अगर वह खुद खेती करने के लिये असमर्थ है और दूसरों को भी देना नहीं चाहे तो उससे जमीन लेकर काश्त करने को सरकार दूसरे को देगी। यह जो सजा के टर्म्स हैं वे उनके लिये है जिस व्यक्ति ने जान बूझकर ज्यादा जमीन अपने पास अपने कब्जे में रख छोड़ी है, जिस पर न खुद काश्त करता है और न दूसरों को काश्त करने के लिये दे। मैं निश्चित तौर से मानता हूँ कि जो यह बात कही गई है इसमें गरीब लोग आ जायेंगे, यह बात बिल्कुल गलत है। आम तौर से आज जो लोग जमीन के लिए इधर-उधर फिरते रहते हैं उनको जमीन मिले और वे उस जमीन को आबाद करें, यह इस बिल का ध्येय है। जिनके पास ज्यादा जमीन है और जो उस जमीन को अपने पास रोक कर दूसरे काम उस जमीन पर करवा कर आमदनी करना चाहते हैं उन पर इस धारा का असर पड़ सकता है। इस बिल की सिर्फ यही मन्शा है कि जिन लोगों ने ज्यादा जमीन लेकर अपने कब्जे में कर रखी है उनको लेकर दूसरी तरफ जो आदमी बिना जमीन के हैं, जिनके पास काश्त के लिये जमीन नहीं है उनको दी जाय। इस चीज की व्यवस्था के लिये यह बिल लाया गया है। अगर इसमें पेनेल्टी का क्लॉज़ नहीं होगा तो इसमें खामी रहेगी और इसका असर नहीं होगा। इसलिये यह पेनेल्टी का क्लॉज़ रखा जाना आवश्यक है। इस क्लॉज़ को डीलीट करने के संशोधन को मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

श्री जवानसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जो अभी फरमाया, माननीय राजस्व मन्त्री ने जो फरमाया कि इस कानून के जरिये हम उन लोगों को जमीन देना चाहते हैं जिनके पास जमीन नहीं है; इसमें मुझे सैद्धान्तिक मतभेद है। इस कानून के जरिये आप किसी की जमीन किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं, यह जो आपकी मन्शा है वह बिल्कुल गलत है। इस मान्यता को कोई विचारशील व्यक्ति मानने के लिये तैयार नहीं है। इस कानून के जरिये केवल उस जमीन को, जिस जमीन पर कि काश्त नहीं हो रही है उससे आप ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेना चाहते हैं, उस जमीन से अनाज और दूसरी चीजें अधिक मात्रा में पैदा करना चाहते हैं। इस कानून के जरिये उस जमीन को आप काश्त में लेना चाहते हैं। इसके अलावा जो आप यह कहते हैं कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनको हम इस कानून के द्वारा जमीन देना चाहते हैं, यह कह कर आप उन काश्तकारों को भुलावे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बहुत गूढ़ प्रश्न है। इस तरह से कहकर, राजस्थान के काश्तकारों को भुलावे में डालकर आप उनको गलत रास्ते पर डालना चाहते हैं। यह तो सिर्फ जमीन की पैदावार बढ़ाने के लिए रखा गया है, यहीं तक आपको सीमित रहना चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ अपने अमेंडमेंट्स को फिर से प्रेस करता हूं।

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment put in by Shri Jawan Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

The amenment is lost.

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ६ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ६ विधेय में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ७

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड ७ और ८ को एक साथ ले लिया जाय तो अच्छा रहेगा। मैंने इन धाराओं को पढ़ा, मुझे इन धाराओं के रखने में किसी प्रकार का सार नजर नहीं आया, इसलिये दोनों धाराओं को डिलीट करने के लिये मैंने निवेदन किया है।

धारा ७ इस प्रकार है :—

"Except as otherwise provided in this Act, no order made or action taken in exercise of any power conferred by or under this Act shall be called in question in any court or before any authority."

इस कानून के क्लॉजेज़ के मातहत कोई हुक्म हो या कार्य किया गया हो, उसके लिए इस क्लॉज ७ में वर्णन है। क्लॉज ८ में भी ऐसे ही खिलाफवरजी गुड फेथ (good faith) में की गई हो उसके खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्यवाही नहीं की जायगी। इस सिलसिले में मेरा यह निवेदन करना है कि असलियत में मैं यह मानता हूँ कि इन दोनों धाराओं के कतई रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस बात को मानते हैं कि हम किसी भी आदमी को, किसी भी काश्तकार को जो उसके वास्तविक हक हैं, जो उसके असलियत में अधिकार हैं, वह हम यदि देते हैं तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन असलियत यह है कि इसके विपरीत हम उनके हक छीनते हैं। अब जब कि हम उनके हकों को छीन रहे हैं या किसी विशेष आदमी से उसकी जमीन छीनकर दूसरे काश्तकार को देते हैं तो हमें इस बात का असर नहीं होना चाहिये, हमने एक हुक्म को एक कानून की तहत में पूरा कर दिया है। इससे तो यह साफ मालूम पड़ता है कि आपको अपने हुक्म का असर नहीं मालूम होता। आप सोचते हैं कि आपके हुक्म के खिलाफ रिट पीटीशन्स होंगी, हमारे हुक्म को रद्दोबदल कर दिया जायगा, शायद हमारे हुक्म को कानून की अदालत मान्यता नहीं देगी; जो हमने हुक्म दिया इस कानून की तहत में। ऐसी सूरत में आपके ख्याल में यह शंका है कि शायद इस

[श्री जवानसिंह]

कानून की तहत में हम बेवाजिब हुक्म नहीं कर सकेंगे, जो कि इस प्रकार के कार्य के लिये होने चाहिये। हरेक आदमी इस बात की उम्मीद करता है कि हमारे साथ इन्साफ होगा, किन्तु आपने पहले से ही सरकारी वर्ग को इस शंका का समाधान करने के लिये, उनकी शंकाओं को पूरा करने के लिये, सरकारी वर्ग की गलतियाँ छिपाने के लिये, उनकी गलतियों को मान्यता देने के लिये और उनकी गलतियों पर परदा डालने के लिये इस तरह की दो धारायें रखी हैं जिनकी शह पाकर, जिनकी तहत में शायद वे उल्टे सीधे काम साफ तौर से कर पायेंगे। अगर आपके सरकारी वर्ग ने इमानदारी से काम किया है तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं, केवल गुड़ फेथ (good faith) कह देने से, चाहे कितना ही काश्तकार का नुकसान किया हो सरकार की नजर में, इस कानून की तहत में वह क्षम्य होगा। इसलिये मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि हम इस प्रकार के नियम बनायें जो न्याय की दृष्टि से सही हों; इस बात का हमें ख्याल करना चाहिये। अगर हम निष्पक्षता से हरेक आदमी को यह मौका दें कि वह चाहे जहां जाय, किसी भी अदालत में जाय वहां पर भी हमारे कानून वैधानिक हो सकते हैं न्याय की दृष्टि से यदि हमने कार्य किया होगा तो। अगर हमने गलती की है तो अदालतें खुली हैं, हमारे कानून को अवैधानिक घोषित करा सकते हैं।

लेकिन यह खयाल इस कानून को पास करते वक्त नहीं रक्खा गया है और यह बराबर सरकार को डर है कि उल्टे-सीधे काम चूंकि करने हैं या हो जावेंगे और बाद में सुलझाये नहीं जा सकेंगे इसलिए पहले से ही इन धाराओं का समावेश करके इन गलतियों पर पर्दा डालने की यह कोशिश है।

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इन दोनों धाराओं को इसमें रखने की कतई जरूरत नहीं है।

एक दूसरी धारा के संशोधन में यह पहले ही निवेदन किया जा चुका है कि अगर सरकार के पास इस अधिकार से कि खास चीजें बोई जावें खास खास जमीन में या और किसी दूसरे के एक काश्तकार को किसी तरह से कोई नुकसान हो जाता है, उसके ऊपर यह हुक्म सादर कर देने (निकालने) से कि एक विशेष प्रकार की फसल, एक विशेष प्रकार के हिस्से में बोई जावेगी इससे उसका जितना नुकसान होता है, अपनी खुद की मरजी के माफिक फसल नहीं बोने से जितना नुकसान उसका होता है उसके लिये सरकार अपने आपको जिम्मेदार ठहरावे, वह उसके उस नुकसान के लिए मुआवजा अदा करे। ऐसा एक संशोधन पहले ही डिस्कस हो चुका है, जिसके ऊपर काफी वाद-विवाद भी हो चुका है। अगर यहां पर यह मन्जूर नहीं किया गया तो इस जगह उस चीज का समावेश करना किसी तरह से ठीक नहीं है और ऐसी सूरत में अगर आप उसको वहां पर किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं देना चाहते हैं तो उस पर जो मुआवजा मांगने वाला है उनको आप यह धारा पास करके वन्चित न रक्खें और इसलिए बाध्य न करें कि वह सरकार के आदेश के अनुसार

[श्री जवानसिंह]

फसल बोए, पर कोई मुआवजा तक न मांगे। इसलिए निवेदन करूंगा कि इन दोनों धाराओं को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है।

फिर भी अगर माननीय मन्त्री महोदय इससे सहमत नहीं हैं तो में यह भी निवेदन करूंगा कि अगर इन सब बातों के लिए भी आप तैयार नहीं हैं तो दोनों धाराओं को एक साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। दोनों धाराओं का एक ही मतलब है। किसी कानूनी अदालत में जाने का अधिकार नहीं रहेगा, यह इनका मतलब है। इस बात को इन धाराओं से कानून की तहत में लाना चाहते हैं तो दोनों में से कोई एक धारा आप रख सकते हैं; इससे भी आपका मतलब हल हो जावेगा। मेरा खयाल है कि आप इन दोनों धाराओं को न रक्खे तो अच्छा है। में इन दोनों धाराओं की खिलाफत करता हूँ, पर फिर भी अगर आप चाहते है तो धारा ८ आप रख सकते हैं जिसमें धारा ७ का समावेश हो जाता है। इसलिए मैं यह अर्ज करूंगा कि पहले की दोनों धाराएं डिलीट करदी जावें, पर इस पर आप अगर फिर भी सहमत नहीं हो कम से कम धारा ७ को तो अवश्य डिलीट कर दिया जावे। इन शब्दों के साथ अपने संशोधन को प्रेस करता हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा न कहकर यही कहना चाहूँगा कि ये धाराएं इसलिए रक्खी गई हैं कि जो पर्पज एक्ट के द्वारा हम पूरा करना चाहते हैं उसमें इन धाराओं से बाधाएं ज्यादा आकर दिक्कतें पैदा नहीं हो इसलिए इनको पेश किया गया है और इसलिए भी कि इससे कोर्टों में जाकर ज्यादा लम्बी प्रोसीडिंग्स न हों जिससे असल मतलब ही हमारा खत्म हो जावे और दिक्कतों को हल करने में ही समय निकल जावे। इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि यह एक्ट कोई कोम्प्लीकेटेड भी नहीं है। यह स्पष्ट है कि किन चीजों और किन परिस्थितियों में इन धाराओं को काम में लाया जावेगा। इसके लिए आगे इसको कार्य रूप में लाये जाने के लिए सरकारी अधिकारियों के लिए जो आशंकाएं और डर प्रकट किया गया है वह नहीं रहना चाहिये। जो हमारा इस एक्ट से उद्देश्य है वह जल्दी से जल्दी हल हो, इसी आधार पर इन धाराओं का समावेश किया गया है और शब्दों के साथ आपने जो दलीलें दीं उनको सुनने के बाद भी मैं सदस्य महोदय के संशोधन को मानने में असमर्थ हूँ।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज और निवेदन कर देना चाहता हूँ कि सरकार को इन कानूनी अदालतों से किसी प्रकार से यह डर है कि वे इन्साफ नहीं करेंगी और गलत-सलत धांधली, जो सरकारी अधिकारी हमेशा की तरह इसमें भी करेंगे और जो गलत फैसले सरकारी अधिकारियों के होंगे वे इन अदालतों में जाकर उलट जावेंगे; वे कानून की अदालतें कहीं जाकर खिलाफ फैसला न दे देंगी, यह डर है। इसलिए इन धाराओं के द्वारा उन कानूनी अदालतों के ज्युरिस्डिक्शन हटा दिये जा रहे हैं ताकि वे मनचाही बातें इस कानून की तहत में कर सकें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र ने जो यह कहा है वैसा कोई डर हमें नहीं है। पर मालूम यह होता है कि इस कानून के द्वारा जो अधिकार सरकार

[श्री चाँदमल मेहता]

को और सरकारी अधिकारियों को मिलेंगे वह सारा काम तो इन्हीं अधिकारियों के जरिये से होगा; तो इन अधिकारियों के द्वारा गलत सलत काम किये जाने का डर माननीय सदस्य को स्वयं को है। जिसके लिए मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य को ऐसा कोई डर नहीं होना चाहिये। कोर्टस में जाकर इन मामलों में देरी न हो, इसकी रोकथाम के लिए ये धाराएं हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ७ में जो संशोधन श्री जवानसिंह ने रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज ७ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज ८

(विराम)

प्रश्न यह कि क्लॉज ८ में श्री जवानसिंह का संशोधन स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज ८ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

Page No.41

[श्री अध्यक्ष]

अब क्लॉज ८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ९ व १०

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ९ व १० स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

खण्ड ९ व १० विधेयक में अंग रूप से जोड़ गये।

(विराम)

क्लॉज १ इसमें श्री जवानसिंह का यह संशोधन है :—

"The figure '1953' be substituted by '1954' "

क्या सदन को यह संशोधन स्वीकार है।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि खण्ड १, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

(विराम)

टाइटल। टाइटल में श्री सोहनलाल का संशोधन है।

(विराम)

(श्री राजस्व मन्त्री से) क्या आपको यह स्वीकार है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—Yes, I agree to it, Sir.

श्री अध्यक्ष—Now the Question is that the amendment put in by Shri **Bhatnagar,** in Title be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

Now the Question is that the Title, as amended and the enacting formula be accepted.

(स्वीकृत)

The Title as amended and the enacting formula are added to the Bill.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—Sir, I beg to move that the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकल्चरल लैण्ड्स यूटीलाइजेशन बिल, १९५४ को पारित किया जावे ।

(स्वीकृत)

दी राजस्थान एग्रीकल्चरल लैण्ड्स युटीलाइजेशन बिल, १९५४ पास किया गया ।

राजस्थान कोलोनाइजेशन बिल, १९५४ (प्रवर समिति को)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Sir, I beg to move that the Rajasthan Colonisation Bill, 1954, be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—Motion moved. Yes, Shri Hari Krishna Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Hon'ble Speaker, Sir, I beg to move that the Bill to make better provision for the colonisation and administration of lands in Rajasthan be referred to Select Committee with direction to report within two weeks.

श्री अध्यक्ष—Within a week ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

श्री हरिकृष्ण व्यास—Within two weeks. माननीय अध्यक्ष, जो प्रस्ताव माननीय, राजस्व मन्त्रीजी ने रक्खा है उस प्रस्ताव को मन्जूर न करते हुए इस बिल को एक प्रवर समिति के पास भेजा जावे, ऐसा मेरा संशोधन पेश करने के बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हैं।

सबसे पहली चीज जिसकी ओर कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह यह है कि जैसा कि इस बिल के लोंग टाइटिल में कहा हुआ है कि :—

"It is a Bill to make better provision for the colonisation and administration of lands in Rajasthan."

और इसके स्टेटमेंट आॅफ आॅब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में भी इसी बात का जिक्र है कि :—

"Water from the Bhakra Irrigation Project is expected to become available from July, 1954. It is, therefore, necessary to proceed with the allotment of land in the project area urgently in accordance with well-considered schemes of colonisation. The Bill seeks to provide for the evolution of such schemes and other ancillary matters. It is modelled after the Punjab Colonisation Act., 1912."

तो मुख्य उद्देश्य इस बिल का यह होना चाहिये, उसूल इसका यह होना चाहिए कि "it should provide for the principles for allotment of land in the project area according to well considered schemes of colonisation." किस प्रकार से जमीन दी जाय, कौनसा वह आधार हो कि जिस पर से एक से ज्यादा लोग, अगर एक ही जमीन की मांग करने वाले हों तो उन एक से ज्यादा लोगों में से किसको दी जाय या किसको नहीं दी जाय, इसके कुछ आधारभूत सिद्धान्त लागू करने के लिए यह बिल होना चाहिए।

दूसरा प्रश्न यह है कि जमीन दे देने के साथ-साथ कुछ शर्तें भी मुकर्रर होनी चाहिए कि जिन शर्तों के आधार पर वह जमीन दी जाय;Conditions on which it shall be held and the position under which the lands or the allotment shall be cancellable. तो कौनसी ऐसी शर्तें हों जिनके आधार पर वह जमीन का इस्तेमाल होगा और अगर आपको केन्सिल करना हो तो किस आधार पर केन्सिल किया जा सकता है।

और दूसरा जो प्रश्न है वह प्रश्न यह है कि जिन लोगों को पहले से उस जमीन पर अधिकार मिल चुके हैं तो उन अधिकारों पर आज इस नये एलॉटमेंट के बारे में क्या असर पड़ेगा; आया कि उनके वे अधिकार सुरक्षित माने जायेंगे या नहीं माने जायेंगे और अगर सुरक्षित माने जायेंगे तो किस हद तक सरकार नये अधिकारों को अपने हाथ में लेगी, यह होना चाहिये।

इन तीन चीजों के बारे में जो मूलभूत चीजें हैं, जो मुख्य चीजें हैं, मैं अर्ज करना चाहूँगा, माननीय अध्यक्ष, कि मुख्यतर इन तीन चीजों के बारे में कोई अधिकार, कोई सफाई, कोई प्रोसीज़र

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अथवा किसी भी प्रकार की कानूनी व्यवस्था इस बिल में प्रस्तुत नहीं की गई है। हुआ यह है कि जिन जिन चीजों का खास समावेश होना चाहिए, उन चीजों का समावेश करने के बजाय केवल जिन चीजों पर राजस्थान सरकार को अधिकार देना है इस प्रकार की क्लॉजेज इसमें रखे गये हैं। हालांकि इस स्टेज पर यह जरूरी नहीं है कि हम पूरी तफसील में जायें, लेकिन एक इलस्ट्रेशन के तौर से मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं धारा ८ की ओर जहाँ एक क्लॉज है कन्डीशन्स ले डाउन करने के लिए। किन २ शर्तों पर यह जमीन दी जा सकेगी इसको निर्धारित करने के लिए और उस धारा ८ का पूरा पूरा मतलब यह कि राजस्थान सरकार कुछ शर्तें मुकर्रर कर सकती हैं यह अधिकार राजस्थान सरकार को दे दिया जाय और मुकर्ररशुदा शर्तों के आधार पर वह जमीन दे सकेगी, यह अधिकार भी इसको दे दिया जाय। यदि इस बिल की मन्शा यह है कि एलॉटमेंट के सिद्धान्त मुकर्रर करे तो फिर किन किन शर्तों पर जमीन दी जा सकेगी, इसके आधारभूत सिद्धान्त तो इस बिल में लागू कर दिये जाने चाहिए। वह नहीं लागू करते हुए केवल इतना ही कह देना कि राजस्थान सरकार इसके बारे में नियम बना देगी और नियम जो होंगे यदि वह नियम लागू समझे जायेंगे तो इतने बड़े बिल के प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह कह दिया जाता कि कोलोनाइजेशन के सिलसिले में जो भी उचित कार्यवाही हो वह उचित कार्यवाही करने का अधिकार राजस्थान सरकार को दे दिया जाय; एक क्लॉज का वह बिल रख सकते थे। इस प्रकार से इसमें किया गया है।

जो दूसरा बुनियादी उसूल का प्रश्न आता है उनके बारे में उसूलन यह जो जमीन मिलेगी उस जमीन पर सामान्य रेवेन्यु कायदे लागू होंगे या नहीं? टीनैन्सी बिल इस सदन के विचारार्थ जो हमारे सामने है और हम सब आशा करते हैं कि वह बहुत जल्दी ही पास हो जायगा, तो क्या वह कायदा इस प्रकार से दी हुई जमीन पर लागू होगा या नहीं? अगर लागू होगा तो किस हद तक? यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी सवाल है। लेकिन ताज्जुब है कि इस बिल में जितनी खबरदारी बरती गई है इसकी मिसाल इस बात से साबित हो जायगी कि जो परिभाषाएँ हैं उन परिभाषाओं में एक परिभाषा "Land Cultivated personally" की भी परिभाषा है। जहाँ तक मैं देख पाया हूँ या समझ पाया हूँ टीनेन्सी बिल जो राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, सिलेक्ट कमेटी में जाने से पहले, उस टेनेन्सी बिल में जो परिभाषा की थी वही की वही परिभाषा "Land Cultivated personally" की इस बिल में प्रस्तुत की गई है। इस बीच में उस परिभाषा को बदल दिया है। उसके लिए कुछ कारण बताये हैं, कुछ आधार बताये हैं और मैं यह मानता हूँ कि उस सिलेक्ट कमेटी के जो मेम्बर इन्चार्ज बिल थे वह माननीय राजस्व मन्त्री खुद थे और उनकी रजामन्दी थी उस संशोधन के करने में तो अब इस बिल में जो संशोधन टिनेन्सी बिल में किया जा चुका है, सिलेक्ट कमेटी के द्वारा वह इस परिभाषा में क्यों नहीं किया जाय, इसका भी कोई माकूल उत्तर है? हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसके बारे में खबरदारी नहीं बरती गई है।

इसी वजह से आप देखेंगे कि करीब २ कोई मतलब नहीं निकलने वाली ऐसी धारा भी इस बिल में जोड़ दी गई है। धारा ६ पर आप गौर फरमावें तो एक सेन्टेन्स है "Subject to the provisions of this Act....." और मैं आशा करता हूँ कि मेरे माननीन मित्र गौर से सुनेंगे।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"Subject to the provisions of this Act, the laws for the time being in force in a colony and the rules made thereunder, governing the following matters, namely:-- (1) (2) (3) (4) and like that इसके आगे कोई एन्ड (end) नहीं है इस चेप्टर का। सबक्लॉज़ (७) के अन्दर एक सेन्टेन्स जुड़ा हुआ है। "the jurisdiction and procedure of revenue courts and officers shall, in so far as they are applicable, apply to all proceedings under this Act."

यह तो ठीक है, "the jurisdiction and procedure of revenue courts shall, so far as possible, apply." लेकिन बाकी उन चीजों के बारे में क्या एप्लाई होगा। एक सेन्टेन्स शुरू हुआ "Subject to the provisions of this Act the following things, etc." namely...... and the sentence ends there. उस सेन्टेन्स का कोई एण्ड नहीं है।

मैं शायद माहिर तो नहीं हूँ लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ इस पूरी की पूरी धारा का मतलब निकालना नामुमकिन सा है। इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि टाइटल्स हैं "applicability of tenancy law" It is 5. and the (6) is "Application of tenancy and Land Revenue Laws" धारा ५ और ६ के हैं। इन दोनों चीजों का जो सबहेडिंग, टाइटल है क्लॉज़ेज़ के; वह तो यह कहते हैं कि वह टीनेन्सी लॉ लागू करने या नहीं लागू करने के सिलसिले में बनाये गये हैं। लेकिन धारा ६ का मतलब ठीक नहीं निकलता है कि आखिर क्या लागू किये हैं या क्या लागू नहीं किये हैं।

इसी प्रकार से जिन लोगों को कुछ हुकूक पहले से उपलब्ध हैं उस जमीन पर चाहे खातेदारी की तरह से या गैरखातेदारी की तरह से लागू हो; टेनेन्ट्स की तरह पर कुछ हुकूक उपलब्ध हों उन लोगों का क्या होगा? एक धारा उसके लिए भी बनाई गई है उसके लिए कहा गया है कि "Special coditions applicable to certain khetedar tenants" सबहेडिंग के अन्दर खातेदार टीनेन्टन्स के लिए धारा २३ में यह कहा है, "Nowithstanding anything contained in any law or in any statement of conditions issued under this Act, a tenant who has previously to the commencement of this Act, acquired rights in any land .."

उसमें किस प्रकार के राइटस हैं, इसका कोई जिक्र नहीं है, कुछ लिखा नहीं है और शर्तें क्या लागू होगीं वह शिड्यूल एक में है। शिड्यूल १ के अन्दर केवल जिक्र खातेदार टिनेन्ट का है। तो यदि किसी भी टेनेन्ट को कुछ भी अधिकार उपलब्ध हुआ है; वह (अधिकार) उसका सुरक्षित रहेगा ऐसा एक सेन्टेन्स, है हेडिंग कुछ दूसरा है और शेड्यूल (१) कुछ दूसरा है। इन सब चीजों का यह नतीजा निकलता है कि यह बिल जो प्रस्तुत किया गया है तो उसमें ऐसी कोई खबरदारी नहीं बरती गई है कि भिन-भिन आवश्यक चीज़ों का उसमें समावेश होना चाहिए वह समावेश किया हो

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

जाय, यह है नंम्बर एक। नंबर दो, कि अगर पूरी तफसील से नहीं की जा सके तो कम से कम उसूल तोर पर किया जाय।

नम्बर ३ परिभाषा की दृष्टि मे है। जहां तक परिभाषा के रद्दोबदल का सवाल है, हमने पहले भी कर दिया, इसमें भी बदल देना चाहिए। 'कोलोनी' की परिभाषा की गई है 'Colony' **means any area to which this Act shall be applied by the order of the State of the Governmenet published in the Rajasthen gazette"** अर्थात् मकान की परिभाषा यह है कि जिसको राजस्थान सरकार मकान कह दे वह मकान हो जायगा। 'Colony' (कोलोनी) के बारे में इतनी सी परिभाषा है कि अमुक जगह कोलोनी गिनी जा सकती है अगर राजस्थान सरकार यह कह दे कि उसको मान लिया जाय। मैं कहूँगा कि वह एब्सर्ड (absured) सी चीज है लेकिन इस एक्ट के तरीके से उसे कोई रोक नहीं सकता है कि राजस्थान सरकार यह कह दे कि राजस्थान विधान सभा भवन एक कोलोनी है तो इस एक्ट के मातहत कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वह एक कोलोनी है। **What is a Colony under this Act ? Colony is a place to which this Act apples.**

ऐसी परिभाषा मेरे ख्याल से बहुत ही गैर वाजिब परिभाषा है और इसी वजह से मैं यह कहता हूँ कि इस बिल को तैयार करने में और प्रस्तुत करने में कोई समझदारी नहीं बरती गई। अब यदि यह हालत है तो क्या नतीजा होगा? उसका नतीजा यह होगा अध्यक्ष महोदय, कि जो उद्देश्य हैं और जिस कारण से इस बिल को माननीय राजस्व मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है कि हम सब के मुतालके का निर्णय करके उसूल के मुताबिक लोगों को जमीन एलॉट करना चाहते हैं, तो वह हल नहीं होगा। भाखरा केनल एरिया की जमीन की बात को जाने दीजिये। दूसरी छोटी सी चीज है; माइनिंग-रेवेन्यू के तहत जमीन एलॉट करने का प्रश्न हमारे समाने है। क्या होगा यदि कोई उसूल नहीं है तो ! आर्बिटेरी तौर पर एलॉट होगी। जो अधिकारी हैं सारे अधिकार एलॉट करने के उनको हो जाते है। नतीजा यह होता है कि एक दूसरे के प्रति अन्याय होता है या भ्रष्टाचार या नेपोटिज्म की शुरूआत हो जाती है। ये चीजें कम हो, सके इसके लिये तरीका एक ही है कि निश्चित तरीका या कानून मुकर्रर कर दिया जाय। लेकिन न मालूम क्यों राजस्थान सरकार कुछ चिढ़ सी गई है कि निश्चित कानून लागू करने के बारे में कुछ हिचकिचाती है। जब कभी बसूल की बात आती है तब सवाल पेश किया जाता है, राजस्थान विधान सभा में बिल पेश करके विधान सभा की मोहर उस पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। मेरे ख्याल से बिना शंका के एक ऐसे कानून पास करवा लिया जाय कि राजस्थान सरकार को जैसे जैसे कानून बनाने की आवश्यकता हो वैसे-वैसे कानून पास करने का अधिकार भी सरकार को मिले। ऐसा कानून पास करवा कर विधान सभा को बर्खास्त कर दिया जाय। कहा जाता है कि कंडीशन्स लागू कर देंगे तो कठिनानई हो जायगी। आपने जागीर पुनर्ग्रहण का कानून पास

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

किया। उसके अन्तर्गत कुछ विशेष रियायतें जागीरदारों को भाखरा या चम्बल के नहरी इलाकों में देने का जिक्र सुनने में आता है। हमारे यहाँ भाग्यहीन किसान लाखों हैं और उन लाखों भाग्यहीन किसानों का प्रश्न हमारे सामने है। यदि वे किसान आयेंगे और कहेंगे कि हमें यह जमीन दी जाय तो क्या उनकी प्राथमिकता रहेगी या नहीं, इस बात का इसमें कोई जिक्र नहीं है। कुछ किसानों को खातेदारी के राइट्स मिल चुके हैं और मान लिजिये कुछ को खातेदारी के राइट्स देने हैं......

श्री अध्यक्ष—Do not go out of the point.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Perhaps he wants to speak and that is why he is pressing.

श्री हरिकृष्ण व्यास—What I am trying to argue is that unless you provide such definite principles in regard to these matters, it is impossible to check nepotism corruption and arbitrarines in regard to questions of allotment. This is my submission, Sir, and therefore I claim that this Bill must provide for these things. Whether my Hon'ble friend agrees with this propcsal or not is a different matter. I am only building up argumente in favour of my proposition.

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने की बात कहने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन जो आर्गुमेन्ट्स दे रहे हैं वे सारे जनरल डिस्कशन के तौर पर हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--माननीय अध्यक्ष, सिलेक्ट कमेटी को रेफेरेन्स करने का प्रस्ताव है उसके पक्ष में बोलने का मतलब यह है कि जिन-जिन बातों का समावेश होना चाहिये वह नहीं हुआ है तो सब बातें कहनी पड़ती है। "with direction to report on the following matters or with directions to consider the following matters......"

मैं कारण बता रहा हूँ There are plenty of matters on which it is necessary to apply ones' mind and provided for details or for altering what is provided for. Hence it should be referred to the Select Committee. इसमें क्या कठिनाई हुई, समझ में नहीं आया?

श्री अध्यक्ष—Finished?

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, Sir, I have answered only to an interruption.

श्री अध्यक्ष--You are introducing matters which are very wide. The arguments can cover only those things which are stated in reply. There must be some limit to your arguments.

श्री हरिकृष्ण व्यास--I am strictly confining myself to the Statement of Objects and Reasons, Sir. After all the Government is committee to its own Statement of Objects and I have quoted from it. If you permit, I will do it again.

श्री अध्यक्ष--No repitition. No repitition of the arguments which you have hitherto advanced.

श्री हरिकृष्ण व्यास--The scope of my submission, I am trying to define "It is. therefore necessary to proceed with the allotment of land in the project area urgently in accordance with well-considered schemes of colonisation. The Bill seeks to provide for the evolution of such schemes."

So the claim of those who pilot this measure is :—

(1) That it is necessary to provide for well-considered sehemes of colonisation; and

(2) That the Bill seeks to provide the evolution of such schemes.

My submission is that it does not provide for such schemes, nor does it lay down any scheme or principles for colonisation. Hence the purpose for which this Bill has been framed has been defeated. Won in the clauses which have been drafted if that purpose is to be fulfilled, then refer it to a Select Committee.

Now, I resume my submission, Sir.

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि यदि हम एक स्कीम पहले बनालें कि कोलोनाइज़ेशन किस तरह करें तो अच्छा हो। कोलोनाइज़ेशन की पहली स्टेज यह है कि जमीन अलोट करने के लिए कौनसा उसूल हम मुकर्रर करते हैं। क्या हम इस सिद्धान्त को मानते हैं कि एलोटमेन्ट में कुछ प्रायोरिटी देनी चाहिए अथवा प्रायोरिटी नहीं दी जानी चाहिए या भूमि जिनके पास नहीं है उनको देनी चाहिये। यदि हम मानते हैं कि प्रायोरिटी दी जानी चाहिये तो किन लोगों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। जिनकी एप्लीकेशन्स पहले आवें उनको दी जानी चाहिये या भूमि जिनके पास नहीं है उनको देनी चाहिये। एक ऐसा उसूल विधान सभा मुकर्रर कर सकती है कि यह नई जमीन है, इसमें सिचाई साधन उपलब्ध हैं, इसमें भूमिहीन किसानों को प्राथ-

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मिकता दी जानी चाहिये। विधान सभा यह भी तय कर सकती है कि पहले से जो काश्तकार उस इलाके में काश्त करते आये उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिये, चाहे वे खातेदार हों या नहीं। विधान सभा यह भी तय कर सकती है कि विस्थापित लोगों को पहले दी जाय। यह अलग चीज है। इस प्रकार के कोई उसूल इस सम्बन्ध में मुकर्रर नहीं किये गये। तब फिर अलोटमेंट कैसे किया जायगा, किसको किया जायगा, प्राथमिकता दी जायगी या नहीं, अलग-अलग अर्जीनविसों का निर्णय किस आधार पर किया जायगा? इन चीजों का कोई निर्णय इसमें नहीं किया गया है, इसलिए यह बिल अपूर्ण है। ऐसी हालत में इसको पास करना हमारे लिए अच्छा नहीं है।

दूसरी बात यह है कि इसकी धाराएँ दूसरे लेजिस्लेशन से भिन्न नहीं होनी चाहिए। यदि इस लैंड कोलोनाइजेशन बिल की धाराएँ टिनेन्सी बिल की धाराओं से भिन्न हैं तो उसके लिए या तो कोई मौजू कारण होना चाहिये, नहीं तो उसी प्रकार की धारा होनी चाहिए। यह जो गलती हुई है वह केवल दिमाग नहीं लगाने की वजह से हुआ है।

प्रश्न यह आता है कि उनसे क्या क्या चीजें वसूल की जायेंगी? जिनको जमीनें दी जायगी उनसे कितने पैसे वसूल किये जायेंगे? ये पैसे वसूल करने का किसका अधिकार होगा? इसे कम या ज्यादा करने का किसको अधिकार होगा? क्या इसके लिए कोई अधिकारी मुकर्रर किया जायगा? ये अधिकारी राज्य सरकार के होंगे या रेवेन्यू बोर्ड के होंगे? ये सब चीजें लेण्ड रेवेन्यू कोर्ट में सेटलमेन्ट की तरह दरें मुकर्रर करेगा कि अमुक तरह की दरें मुकर्रर होंगी, अमुक लोगों से क्या वसूल किया जायगा, कौन मुकर्रर करेगा, इसके बारे में कोई सफाई नहीं है। आम तौर से इस बात का जिक्र कर दिया है कि ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर लागू किये जाँय। इस प्रकार इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर को साफ करना है, उसूलन इन बातों को तय करना है।

तो इस वजह से यह बिल ऐसा का ऐसा रहने देकर इस पर विचार करने बैठेंगे तो इस पर ठीक तरह से विचार नहीं कर पायेंगे। इसमें कई चीजों का समावेश करना आवश्यक है, कई चीजों को रद्दोबदल करना आवश्यक है, इसमें जिन चीजों की मुख्य आवश्यता है उनका समावेश करना आवश्यक है।

इसलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाय। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात पर पूरा गौर करके मेरे मित्र इसे स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—(श्री राजस्व मन्त्री से) आप एक्सीड करते हैं कि नहीं?

(एक सदस्य बोलने खड़े हुए)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि एक माननीय सदस्य बोलने के लिए उत्सुक हैं।

Page No.50

श्री अध्यक्ष—Perhaps he is going to support it.

(विराम)

(श्री राजस्व मन्त्री से)If you accede to it that the Bill be referred to a Select Committee, then there is no need of discussions, otherwise the discussions may go on.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं अब तक जो मेरे मित्र ने दलीलें दीं उनसे तो ज्यादा कन्विन्स्ड नहीं हुआ कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। कोई और माकूल दलील आये तो इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजना उचित समझा जा सकता है। जो उन्होंने दलील दी कि इसमें कई बातें यहाँ नहीं आयी हैं, उनका समावेश करना है इसलिए इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, यह कोई ठीक दलील नहीं है। कई संशोधन यहाँ भी हो सकते है, यहाँ खुद पेश कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—संशोधन आये हैं, we have received amendments.

श्री हरिकृष्ण व्यास—इन्टेरिम जवाब दे रहे हैं क्या?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—तो इस सम्बन्ध में और भाषण होता, तो ठीक होता ताकि कोई माकूल दलील आती इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने के सम्बन्ध में। पर इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मेरे मित्र ने प्रस्ताव किया इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय तो अच्छा है, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पर खास बात यह है कि हमें इसे जल्दी से जल्दी पास करना है। यह सेशन चल रहा है और हमें यहाँ काफी समय तक बैठना है; तो इसे दो वीक्स में पूरा कर दें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। सरकार कोई ऐसा बड़ा पहाड़ गिराना चाहती हो, इस बिल को लाकर, ऐसी कोई बात नहीं है।

पहले एक बात स्पष्ट करदूँ माननीय अध्यक्ष, कि यह बिल पंजाब के बिल पर आधारित है। इसमें कोई नई चीज नहीं लादी गई है कि राजस्थान सरकार इससे कोई बड़ा पहाड़ गिराना चाहती है, या इससे कोई बड़ी भारी गड़बड़ी होने वाली है। ऐसा कहना उनके लिए ठीक हो सकता है, जो गलत रिप्रेजेन्ट करते हैं; पर यह वाजिब नहीं है।

उनकी दलीलों के जरिये गलत फहमी फैलती है, इसलिए उस गलत फहमी को दूर करने के लिए मैं कुछ अर्ज कर देना आवश्यक समझता हूँ।

उन्होंने कहा कि जागीर रिज़म्पशन के जरिये हमने यह किया कि जागीरदारों को, उनके पास खुदकाश्त के लिए जमीनें नहीं हैं, इस नाम पर भाखरा के पास जमीनें दे देंगे और जो आप लोग भूमिहीन हैं वे बिना जमीन के ही रह जावेंगे। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार गलत प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि जिससे गलत फहमी फैले।

Page No.51

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हमने जागीरदारों और भोमियों को, जिनके पास कि जमीनें नहीं हैं, जमीनें देने की बात कही है और जो बात कही है वह पूरी करना चाहते हैं, परन्तु जो भूमिहीन हैं उनको जमीनें वहाँ दी जायँगी यह निश्चित् बात है। यह निश्चित् तौर से मान कर चला जाय कि ३००००० (तीन लाख) एकड़ जमीन भाखरा के एरिया के अन्दर है। गवर्नमेंट लैण्ड का अधिकांश हिस्सा भूमिहीन किसानों को दिया जायगा, उसमें उनको बसाया जायगा। पर साथ ही साथ रिजम्पशन से जो समस्या पैदा होती है उससे भी सरकार आंखें नहीं मींच सकती, उसका भी हल करना चाहती है।

तो इस तरह की गलत दलीलों से गलत फहमी न फैलायें। भूमिहीनों को वहाँ जमीनें नहीं दी जायंगी, इस गलत फहमी को दूर करने के लिए मैं यह कहना आवश्यक समझता था।

मैं चाहता हूँ कि यह सिलेक्ट कमेटी में जाय। वहाँ पर भी इस पर अच्छी तरह विचार हो, इसके लिए मैंने कभी इन्कार नहीं किया और न करता हूँ।

इसकी नामावली पेश करने का जहाँ तक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दें तो मैं पेश कर सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष—So I put the question. The question is that the Bill be referred to a Select Committee with direction to make the report within two weeks.

Should we specify the date ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—We can specify the date also.

(परस्पर विचार-विमर्श के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—By the 8th August, 1954 ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—What will be the day ?

श्री अध्यक्ष—Monday.

(विराम)

The question is that the Bill be referred to a Select Committee. The names will be given afterwards, after they are unanimously decided; with directions to report on the 8th August.

(स्वीकृत)

The motion is adopted.

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

I have resivtd the names of the members of Select Committee they are :—

1. Shri Ram Chandra Singh Chowdhry.
2. Shri Manphool Singh.
3. Shri Brij Sunder Sharma.
4. Shri Motilal Jain.
5. Shri Bhairon Singh of Khejarla.
6. Shri Badri Lal, of Partapgarh
7. Shri Shyam Lal Goel.
8. Shri Kishen Lal Shah.
9. Shri Gopi Lal Yadav.
10. Shri Jaswant Singh.
11. Shri Jawan Singh.
12. Shri Tan Singh.
13. Shri Bhairon Singh of Barkana.
14. Shri Mohan Lall Sukhadia.
15. The Advocate-General.

कु० श्री जसवन्तसिंह—He (Advocate-General) never comes, Sir.

श्री अध्यक्ष—And the Member-in-charge will be the Chairman.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Who is the mover ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Who has submitted this list, Sir ?

श्री अध्यक्ष—There is no name. I have announced it. You want your name ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I do not want. I have got a lot of other things to do. But I want one or two of my friends. I expect that when the motion is made, in all courtesy, at least, I will be consulted. I do not insist. Yesterday also something occurred......

Page No.53

श्री अध्यक्ष—It looks odd for one to propose for oneself.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I would not agree for myself, I can assure you. I have one or two friends who must be there.

श्री अध्यक्ष—Are these not your friends ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—They are, but I will like to include lesser friends also if you put it that way, I am proposing some names. He (Shri Sukhadia) should atleast have consulted me before...

कुं० श्री जसवन्तसिंह—He wants Shri Tyagi's name to be added.

श्री अध्यक्ष—Conversant with colonisation work. (विराम) Only one.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Shri Gurdial Singh.

श्री मथुरादास माथुर—Shri Moti Ram of Ganganagar or Harns Rajji Arya.

श्री अध्यक्ष—The list is exhaustive now. Four more names :—

Shri Ved Pal Tyagi.
Shri Gurdial Singh.
Shri Moti Ram Chowdhry. and
Shri Hans Raj Arya.

In all there are now 19 members. The Revenue Minister will be the Chairman.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अपने यहाँ दो लेडीज़ मेम्बर्स आ गई हैं, उनके नाम भी सिलेक्ट कमेटी में होने चाहिये।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House ?

(स्वीकृत)

The leave has been granted.

(विराम)

Now we come to the next legislation-Tenancy Bill.

Page No.54

राजस्थान भूधारण विधेयक, १९५३.

कु० श्री जसवन्तसिंह—If you want to take Tenancy Law I would respectfully submit that it will be better if we take this up after the holidays, when we are fresh.

श्री अध्यक्ष—Let the motion be moved. If you are in a holiday mood, we can adjourn today.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—There are four days in between and if we start today our train of mind will be interrupted unnecessarily. So we start from Tuesday next and will pay more attention and finish early.

श्री मथुरादास माथुर—We always agree on such matters.

श्री अध्यक्ष—The matter is of the disposal of preliminary speeches.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Not today, Sir.

श्री अध्यक्ष—You are already here.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—There is no hurry, Sir. We are sure that these two hours of today we would better utilise next day.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बात यह है कि आज के बाद चार दिन तक काम नहीं होगा और यह एक इम्पोर्टेन्ट लेजिस्लेशन है, इसलिए अच्छा तो यह हो यदि इसको एक साथ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष—When do we meet next ? (विराम) 27th Tuesday at 4 P. M; is it the pleasure of the House ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई। There should not be too many frequent days like this.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Only for one day.

श्री अध्यक्ष—Members who are debarred today, it will be convenient for them to come on the 27th by the morning train and attend the Session in the evening and on subsequent days at 8 A. M. I will like to request one thing

[श्री अध्यक्ष]

more. When we meet at 4 P. M. on Tuesday we will not be in a holiday mood as we were last time on the 19th when we adjourned just after the question-hour.

श्री हरिकृष्ण व्यास—We will be ready this time, Sir.

श्री अध्यक्ष—I think all the Members have received the agenda and if not they will please pick-up from the Notice Office. On Tuesday Tenancy legislation will be taken in any case.

We now adjourn to 27th July, 1954, at 4 P. M.

(सदन की कार्यवाही १० बज कर २५ मिनिट पर, कल दिनांक २७ जुलाई, १९५४, के ४ बजे सायं तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—२२ जुलाई, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति में सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मन्त्री महोदय की अनुमति है)

प्रश्न

११५० (२७०/ एफ. एम.) श्री शिवदानसिंह, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १४०—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) खमनोर तहसील में कुल छोटे-मोटे कितने तालाब हैं ?

(ख) इनमें कितने फूटे हुए हैं ?

(ग) क्या श्री नाथद्वारे में गिरधर सागर की भी मरम्मत कराने की योजना है ?

उत्तर

(क) खमनोर तहसील में महकमा आबपाशी के ताल्लुक छोटे-मोटे कुल ९ तालाब हैं जो निम्नलिखित हैं :

(१) गामगुड़ा (२) खलोदा (३) सम्रून (४) माना (५) मोलेला (६) अमरचन्दीया (७) भूताला (८) गोढ़च (९) धामला ।

इनके अलावा जागीर के जो और तालाब हैं उनका ताल्लुक महकमा आबपाशी से नहीं है ।

(ख) खमनोर तहसील में आबपाशी ताल्लुक कोई तालाब फूटा हुआ नहीं है ।

(ग) नाथद्वारे का गिरधर सागर तालाब महकमा आबपाशी के ताल्लुक नहीं है ।

प्रश्न

११५३ (२७१ / एफ. एम.) श्री शिवदान सिंह, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १४० — क्या सिचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या तालाबों के पिछोर में जिन आसामियों के कुए नहीं हैं, उनको जिनके कुए हैं, उनकी अपेक्षा पिलाई देने में प्रिफरेन्स दिया जाता है ?

उत्तर

हां ।

परिशिष्ट २

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो प्रश्न-समय में न लिए जाकर सदन की मेज पर रख गए)

प्रश्न

११६१ (६०/एस. एम.) श्री हंसराज जटिया, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ५२—क्या दलित वर्ग विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय व राजस्थान सरकार द्वारा हरिजनों की भलाई के लिए क्या कोई धन राशि स्वीकृत की जाती है ? यदि हाँ, तो वह इस साल कितनी है ?

(ख) इसका वितरण किस-किस स्थान पर किया है और उस रकम में से धौलपुर यूनिट को कितना दिया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(क) हाँ, इस साल भारत सरकार ने १,११,०००) रुपया जो पिछली साल स्वीकार हुआ था, आराजी तौर पर हरिजनों की भलाई के लिए स्वीकार किया है। ३ लाख रुपयों की योजनाएं इस वर्ष हरिजनों के कल्याणार्थ भारत सरकार को सेवा में भेजी गई हैं, स्वीकृति नहीं आई है। राजस्थान सरकार के बजट से भी कम से कम उतना ही खर्च किया जायगा जितना भारत सरकार देगी। इसके अलावा बैकवर्ड क्लासेज़ वेलफेयर विभाग के नोर्मल बजट में से लगभग १,४०,०००) रुपये खर्च होते हैं।

(ख) स्वीकृति आने पर वितरण किया जावेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न

११६२ (२७६/एफ. एम.) श्री गुरुदयालसिंह सन्धु, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ४१—क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गंगानगर जिले में राजस्थान सरकार ने पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी सड़कें १-४-५४ तक बनवाई हैं ? यदि नहीं बनाई गई हैं, तो इसका क्या कारण है ?

(ख) साल १९५४–५५ में सरकार गंगानगर जिले में कितनी सड़कें बनाने का इरादा रखती है ?

(ग) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार नहरी क्षेत्र में कितनी सड़कें बनायेगी ?

उत्तर

(क) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गंगानगर जिले में ता० १-४-५४ तक निम्नलिखित सड़कें बनाई गई हैं :—

१. गंगानगर-पदमपुर सड़क १ से ६ मील

२. हनुमानगढ़ कस्बे से जंक्शन तक ३ मील

३. भादरा भाँसल २ मील

४. भादरा साहवा ३ मील

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सड़कें साल १९५३-५४ के समाप्त होने के समय बन रही थीं :

१. गंगानगर पदमपुर ६ से २४ मील

२. गंगानगर से गंगानगर नहर तक १ मील

३. पल्लू सरदार शहर पहिले ५ मील

अकाल के सिलसिले में सिर्फ मिट्टी का काम हुआ और बाकी काम १९५४-५५ में किया जावेगा।

(ख) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत साल १९५४-५५ में निम्नलिखित रकमें मन्जूर हुई हैं :

	रुपया
१. गंगानगर पदमपुर सड़क	३,५०,०००
२. पदमपुर रायसिंह नगर सड़क	१,००,०००
३. भादरा भांसल सड़क	१,००,०००

४. रावतसर पल्लू सड़क पहिले ५ मील ५२,४६६

५. भादरा साहवा सड़क ४ मील २३,५११

६. पल्लू सरदार शहर सड़क ५ मील १६,०००

यह उम्मीद की जाती है कि ऊपर लिखी रकमों से नीचे लिखी मुताबिक काम हो जावेगा :—

१. गंगानगर पदमपुर सड़क मील ६ से २४ तक डामर किए जाने के काम के सिवाय सब काम हो जावेगा।

२. पदमपुर से रायसिंह नगर, अगर जमीन आसानी से मिल गई तो १ मील तक काम पूरा हो जावेगा।

३. भादरा-भाँसल सड़क, ४ मील सड़क और बनादी जावेगी।

४. रावतसर, पल्लू सड़क ५ मील, रकम मंजूर शुदा के मुताबिक १ मील सड़क पूरी कर दी जावेगी।

५. भादरा-साहवा सड़क ४ मील बाकी रही हुई, १ मील सड़क बनादी जावेगी।

६. पल्लु सरदार शहर सड़क ५ मील, ५ मील सड़क का काम इस साल खत्म कर दिया जावेगा।

गंगानगर से साधूवाली, गंगानगर से हिन्दूमल कोट और गंगनहर से गंगानगर की सड़कों के लिए पैसे मांगे गए हैं और अगर रकमें मन्जूर हो गईं तो २ मील गंगानगर से साधूवाली सड़क, २ मील गंगानगर से हिन्दूमल कोट की सड़क और बाकी रही १ मील सड़क गंगनहर से गंगानगर तक की बनादी जावेगी।

(ग) पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित सड़कें बनाई जावेंगी :

१. गंगानगर पदमपुर सड़क २४ मील

२. पदमपुर रायसिंह नगर सड़क १७ मील

३. गंगानगर हिन्दूमल सड़क १७ मील

४. गंगानगर साधूवाली सड़क ३ मील

५. गंगनहर गंगानगर सड़क २ मील

सड़कों का काफी समझना बहुत कुछ प्राथमिकता पर निर्भर है। राजस्थान में सभी जगह सड़कों की बहुत कमी है, किन्तु यह एक साथ पूरी नहीं की जा सकती। जो कमी प्रथम योजना में रह गई उसकी पूर्ति द्वितीय योजना में करने का प्रयास किया जायगा।

नीचे लिखी चार सड़कें जो नहरी इलाके में आती हैं भाखरा की सड़कों वाली योजना में मन्जूर हो चुकी है :

१. हनुमानगढ़, पक्का भादवां, जोरकियां, पदमपुर सड़क ४१ मील

२. गंगानगर, गणेशगढ़, जोरकिया, सरदारपुरा, रामसर, सूरतगढ़ सड़क ३२ मील

३. गंगानगर, लालगढ़, भोरजेदा, पका भादवा पीलीबंग, सड़कें ३७ मील

४. शादूलशहर, बनवाली, गंगानगर सड़क १६ मील

प्रश्न

११६३ (६१/एस. एम.) श्री हंसराज जटिया, एम. एल. ए., डिवीज़न नम्बर ४२—क्या देवस्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या धौलपुर में मुचकुंद नामक तीर्थस्थान पर हजारों यात्री आते हैं जिससे हजारों रुपयों की सरकारी आमदनी होती है?

(ख) फिर भी भवन और कुंड का इन्तजाम क्यों नहीं किया जाता है? यदि इन्तजाम किया जायगा तो कब तक? यदि नहीं तो, क्यों नहीं?

उत्तर

(क) मुचकुंद तीर्थ-स्थान से सरकार को कोई आमदनी नहीं होती है।

(ख) ऐसा मालूम हुआ है कि जनता इस कुन्ड को मरम्मत समय-समय पर चन्दे से कराती रही है। यदि अब भी लोग मरम्मत का काम हाथ में लेंगे तो सरकार भी सहयोग दे सकती है।

परिशिष्ट ३

(वे अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखे गए)

प्रश्न

१. (१/यू. एस. श्री हरिराम, एम. एल. ए. विभाजन संख्या ५५--क्या खाद्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है जिला बांसवाड़ा के लिए कोरोगेटेड शीटस (बरसाती पतरों) का कोटा चार पाँच वर्ष से जनता की माँग होने पर भी नहीं मिल रहा है और न बाँसवाड़ा के लिए स्थानीय डीलर को मान्यता दी जा रही है ?

(ख) उदयपुर डिवीजन के डीलर द्वारा गत चार पाँच वर्षों में बांसवाड़ा जिले का आया हुआ कोटा कहाँ और किसको बेचा गया ? क्या उस पार्टी का नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ग) क्या यह सही है कि कोरोगेटेड शीटस के लिए कई बार आवेदन पत्र एवं संस्थाओं द्वारा लिखा गया व रूबरू मन्त्री महोदय से माँग की गई फिर भी कोई उचित कदम नहीं लिया गया ? क्या अब भी इस कमी की पूर्ति सरकार करेगी ?

उत्तर

(क) नहीं, बांसवाड़ा जिले के लिए नालीदार चद्दरे सन् १९५२-५३ में आई थीं। वे वहाँ की जनता में वितरण कराई गई थीं। सन् १९५०-५१ में केन्द्रीय सरकार से नालीदार चद्दरों का अलोटमेंट नहीं किया गया था। इस कारण राजस्थान में कहीं भी नालीदार चद्दरें नहीं मंगाई जा सकी।

स्थानीय डीलर को मान्यता देने के लिए भारत सरकार के सम्बन्धित अधिकारी से पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

(ख) नालीदार चद्दरें सन् १९५३ में ४० टन बाँसवाड़े में पिछले कोटे की आई थीं जो जनता व किसानों को वितरण की गई। इसके अतिरिक्त ४० टन उदयपुर के कोटे से बाँसवाड़ा भिजवाई गईं। ६० टन का कोटा अभी तक आया नहीं है; जिसके लिए तार द्वारा मंगाने की कोशिश की गई है और शीघ्र ही आने पर बांसवाड़ा की जनता व किसानों में वितरण की जायेगी। बांसवाड़ा के कोटे की कोई चद्दरें उदयपुर में नहीं बांटी गईं।

(ग) जब कभी नालीदार चद्दरों की माँग किसी संस्था ने की थी, उन्हें सूचित करते हुए चद्दर दिलाये जाने का प्रयत्न किया गया। हाल ही में राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि, आइरन व

स्टील कन्ट्रोलर कलकत्ता से राजस्थान के समस्त पेन्डिंग इन्डेन्टो का माल शीघ्र भिजवाने के सम्बन्ध में मिले थे व समस्त पेन्डिंग इन्डेन्टों की सूची भी भेजी जा चुकी है। साथ ही में आइरन व स्टील एसोसिएशन लि० बाँसवाड़ा को वहीं का रजिस्टर्ड स्टॉकिस्ट बनाए जाने का भी प्रश्न किया जा रहा है जिससे जिले का माल सीधा वहीं पर मंगवाया जा सके।

प्रश्न

२. (२/यू. उस.) श्री हरिराम, एम. एल. ए., निर्वाचन मंडल २५—क्या रवर मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सरकार के ध्यान में है कि बाँसवाड़ा जिले में सीमेंट बहुत कम मात्रा में भेजे जाने के कारण किसानों को ऊंचे भाव में खरीदनी पड़ती है ?

(ख) क्या इस वर्ष अधिक सिमेंट का कोटा बढ़ाया जाकर मुकर्रर रेट से मिलने की सुविधा की जायेगी ?

उत्तर

(क) सीमेंट जिलाधिकारियों की माँग के अनुसार ही अलॉट किया जाता है। बांसवाड़ा जिले के वास्ते वहाँ के कलेक्टर की माँगों के अनुसार सीमेंट की निम्नांकित मात्रा अलाट की गई है। सीमेंट निर्धारित कीमत पर ही बिकवाई जाती है :—

१. जुलाई ५३ से सितम्बर ५३...४०० बोरी

२. अक्टूबर से दिसम्बर ५३...४०० बोरियाँ

३. अक्टूबर से दिसम्बर ५३ कृषि हेतु ४०० बोरी

४. जनवरी से मार्च, ५४...४०० बोरी

५. अप्रेल से जून, ५४...८०० बोरी

६. अप्रेल से जून ५४ कृषि हेतु...४०० बोरी

(ख) भविष्य में भी जितनी सीमेंट बाँसवाड़ा के कलेक्टर माँगेंगे उतनी ही मात्रा वहाँ को अलॉट की जावेगी।

Page No.63

प्रश्न

३. (३यू. एस.) श्री नारायण चतुर्वेदी, एम. एल. ए., विभाजन संख्या १०६— क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) किस-किस तहसील में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने-कितने मील सड़क बन चुका है ?

(ख) जिन तहसीलों में कम सड़कें बनी हैं, उनकी ओर क्या आवश्यक ध्यान दिया जायगा ?

(ग) जयपुर तथा चाकसू तहसीलों में कहाँ-कहाँ सड़कें बनाने की माँग जनता कर रही है और उसमें कहां कहाँ सड़कें बनाने का सरकार विचार कर रही है ?

उत्तर

(क) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिन-जिन सड़कों को लिया गया है उनकी विस्तृत सूची संलग्न है। प्रत्येक सड़क के आगे उन तहसीलों के नाम अंकित कर दिए गए हैं जिनमें से वह सड़क गुजरती है। जितना कार्य गत साल तक समाप्त हो चुका है उस पर लगे हुए द्रव्य के आँकड़े प्रत्येक कार्य के सामने दिए हुए हैं।

(ख) जिन तहसीलों में प्रथम पंचवर्षिय योजना में कम सड़क बनी हैं और जहाँ वास्तविकता में सड़क की आवश्यकता है वहाँ प्राथमिकता की दृष्टि से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कमी पूर्ति करने का प्रयत्न किया जायगा।

(ग) एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यतया जयपुर तथा चाकसू तहसीलों से निम्नलिखित सड़कों की माँग है।

१. वाटका गाँव से चाकसू लालसोट मिलाने वाली सड़क।

२. चाकसू से कोटखावदा।

३. गोनेर ग्राम सड़क।

४. बगरू से कलवाड़ा।

५. झोटवाड़ा से कलवाड़ा।

श्योडाला से सांगानेर, इत्यादि।

इन पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचारा किया जायगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

प्रश्न

४. (८२/एस. ए.) श्री हरिराम, एम. एल. ए. ५५—क्या आदिवासी मन्त्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बाँसवाड़ा जिले में आदिवासियों की जन-संख्या कितनी है एवं राजस्थान में कुल आदिवासी जनसंख्या कितनी है ?

(ख) आदिवासियों के विकास हेतु केन्द्र सरकार से आने वाली सहायता किस रूप में कितनी तादाद में प्रति वर्ष खर्च की जाती है एवं गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितनी सहायता प्राप्त हुई थी ?

(ग) पिछड़ी जाति के शिक्षा के लिए राज्य एवं संस्थाओं के द्वारा कितने बालक बालिकाएं कहाँ कहाँ शिक्षा पा रहे हैं ?

(घ) आदिवासियों को आर्थिक सहायता देकर गत तीन वर्षों में कितने कुए तैयार करवाये गए एवं प्रतिवर्ष कितनी रकम खर्च की गई एवं उसमें कितनी रकम हर वर्ष वापिस हुई ?

(ङ) आदिवासियों के हल्कों में अप्रोच रोड एवं तालाब अथवा शिक्षालयों का कहाँ कहाँ निर्माण हुआ है ? उसमें कितनी गत तीन वर्षों में रकम खर्च की गई ?

(च) केन्द्र सरकार की सहायता के अलावा गत तीन वर्षों में राजस्थान सरकार ने कितनी रकम किस अनुपात से बाँसवाड़ा जिले में खर्च की और वह कहाँ और किस प्रकार ?

उत्तर

(क) जिला बांसवाड़ा में आदिवासियों (अनुसूचित जन जातियां) की जन-संख्या जनगणना पत्रक सन् १९५१ के अनुसार २,१५,६२४ है एवं राजस्थान में आदिवासियों (अनुसूचित जन जातियों) की जन-संख्या ३,१६,२४८ है।

(ख) आदिवासियों के विकास के हेतु केन्द्रीय सरकार से आने वाली सहायता किस रूप में और कितनी तादाद में प्रतिवर्ष खर्च की गई, उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	नाम योजना	धन जो प्रतिवर्ष खर्च हुआ		
		१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४
१.	शिक्षा विकास	१३, ८५४)	१, १९, ७७१)	१, ३९, ३२९)
२.	आर्थिक विकास	२०, ०००)	४२, ०५०)	३६. ५५९)
३.	उत्पादक योजनायें	३, ३०, ५५८)	३, ५५, ८९८)	४, ०७, ०००)
४.	यातायात विकासार्थ	७, ४६१)	४२, २४५)	५४, २२९)
५.	प्रकाशन, पर्यवेक्षण	—	—	५, ५५५)
—	व प्रकीर्ण व्यय			
		३,७१,८८३)	५,५९,९६४)	५,०३,३४३)

गत ३ वर्षों में जो सहायता भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुई उसका विवरण निम्न प्रकार है :--

सन् १९५१–५२ ५,००,०००)

सन् १९५२–५३ ६,५०,०००)

सन् १९५३–५४ ८,००,०००)

(ग) इस विभाग द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों में, जो पिछड़ी जाति के बालक-बालिकायें शिक्षा पा रहे हैं, उनकी संख्या लगभग ४, ००० है, स्थान जहां पर स्कूल चलाये जा रहे हैं, उनकी सूची संलग्न है ।

संस्थाएं, जिनको इस विभाग द्वारा सहायता दी जाती है, उनके स्कूलों में पिछड़ी जाति के बालक,-बालिकाओं की संख्या लगभग ३,८०० है ।

(घ) आदिवासियों को आर्थिक सहायता देकर गत ३ वर्षों में ६९१४ कूए खुदवाये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :--

सन् १९५१–५२ में १७३४

सन् १९५२–५३ में २३९८

सन् १९५३–५४ में २७८२

प्रतिवर्ष उपरोक्त कुओं पर खर्च की एवं लेप्स हुई रकम का विवरण निम्न प्रकार है।

सन्	रकम जो खर्च हुई	रकम जो लेप्स हुई
१९५१–५२	४, २०, ००)	——
१९५२–५३	४, ८२, ६६४)	८४०६)
१९५३–५४	६, ००, ०००)	आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं।

(ङ) आदिवासियों के क्षेत्र में निर्माणित अप्रोच रोड एवं तालाबों के विवरण की सूची "ब" संलग्न है। गत तीन सालों में कोई स्कूल भवन का निर्माण नहीं हुआ है।

(च) बैकवर्ड क्लासेज़ वेलफेयर विभाग से गत तीन वर्षों में बांसवाड़ा जिले में जो धनराशि खर्च की गई है, उसका विवरण निम्न प्रकार है और वह पिछले तीन सालों में ५, ६ व ६ प्रतिशत के अनुपात से खर्च की गई।

क्रमांक	नाम प्रवृत्ति	१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४
१.	प्राईमरी स्कूल	२०)	१५२७॥≡	१४४०)
२.	छात्रावास	३१६)	८२४६=॥	७०८०।≡
३.	छात्रवृत्ति	२, ८६१)	१७६०)	१४३१)
४.	संस्थाओं को सहायता	२३८०३॥≡	३१५९८॥≡	३०५१०।–
		२७०००॥≡	४३१३२॥≡॥	४०४६१॥)

——

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF THE PLACES OF THE SCHOOLS RUN BY THE DEPRTMENT BACKWARD CLASSES WELFARE DEPARTMENT

1. Kajli Kheda
2. Dautla Kund
3. Angora
4. Sidhpura
5. Gadole
6. Paudia
7. Hawlipathar (Achalpur)
8. Amlikhora
9. Karanpur
10. Bagdawada
11. Jhalordhawda
12. Khakat
13. Gurad
14. Dholpuri
15. Malwaka chora
16. Guda
17. Jhed
18. Jogiwad
19. Badli
20. Mahad
21. Nayawas
22. Munjwa
23. Mehtaji Ka Kheda
24. Kali Bheent
25. Keshriabad
26. Bhanpa
27. Alukheda
28. Adinda
29. Mahedi
30. Mendwa
31. Kulmipura
32. Khedlia
33. Gunda ka dhawa
34. Kaya
35. Vindya Bhata
36. Amlata
37. Kalyanpura
38. Chokund
39. Chamla Wada
40. Dotad
41. Kochari Ambasa
42. Nagaria Panchola
43. Bahaki Bar
44. Pal Valota
45. Pal Hiratan
46. Malmathapal
47. Bansia
48. Pagarapal
49. Bhensra
50. Patanpur
51. Mewara
52. Nithuapal
53. Sarwara
54. Doza
55. Khajuri
56. Kokapur (Dariyana)
57. Mandavapal
58. Bhilwa panchole
59. Malsuratan
60. Barchhawara

61. Likin Chhoti
62. Chadeli
63. Poonawara
64. Sarthana
65. Chhani
66. Deopur
67. Modar
68. Slushota
69. Parlia Patli
70. Delwara
71. Sagrod
72. Shodarpur
73. Suwala
74. Sarvan
75. Sanwasa
76. Jhasi
77 Cheek kher-Dabra
78. Gangud Talai
79. Ramgarh
80. Sanariyer
81. Chandanji ka Guda
82. Veerpura
83. Kotra
84. Chandrod
85. Deri
86. Katrenli
87. Meyawasa
88. Chhayan Talgari
89. Palaswani
90 Ghodi Tejpur
91. Rahmya Kopara
92. Jagpura
93. Tanuna
94. Kotri Bagayacha
95. Phalwa
96. Ason
97. Tamativa
98. Darobaniya
99. Badana
100. Juda
101. Was
102. Bikasni
103. Garanwas
104. Madri
105. Pahada
106. Pahada
107. Thana
108. Jaesawand
109. Saleda
110: Surada
111. Sagtada
112. Burabarda
113. Rampuria
114. Devgarh
115. Bori
116. Richapaduni
117. Godapalla
118. Padra
119. Gaonra
120. Kolkhanda
121. Chotari
122. Kua
123. Ghataka Gen
124. Wardam (Ge)
125. Selaj
126. Sanspur
127. Suratan
128. Manthphale

129. Karawara
130. Jhonthari
131. Khamka Talab
132. Sabla
133. Mandanapal
134. Panohal Wasa
135. Kali Anch
136. Basi
137. Andwara
138. Bildi
139. Cheepru Talai
140. Teemarwa
141. Satiyan
142. Kheriwaripara
143. Khundi Kalinjar
144. Kasarwadi
145. Kushalgarh
146. Bhookiya
147. Mor Bankawada
148. Bassi
149. Sujjangarh
150. Chhaza

अनुसूचित क्षेत्रों में सन् १९५१–५२, १९५२–५३ एवं १९५३–५४ में सड़कों एवं पुलियों कलवर्टस पर वास्तविक खर्चे का विवरण ।

क्रमांक	कार्य का नाम	खर्च		
		१९५१=५२	१९५२=५३	१९५३=५४
१.	स्वरूपगंज कोटड़ा सड़क ऊपर मार्ग और पुलियों का निर्माण	७४७०-१२-३	४२,२४४-५-३	३४,०१७-८-६
२.	डूंगरपुर माथुगंडा रोड़ पर पुलियां निर्माण	=	=	७,३९७
३.	गैजी पीठ रोड़ पर पुलियां निर्माण	=	=	१२,८१५
	कुल योग	७,४७०-१-२३	४२,२४५-५-३	५४,२२९-८-६

अनुसूचित क्षेत्र में सन् १९५१–५२, ५३ एवं १९५३–५४ में तालाबों के बनाने एवं मरम्मत करने पर वास्तविक खर्च का विवरण १९५३–५४.

क्री० नम्बर १	तालाब का नाम २	वास्तविक खर्च १९५१–५२ ३	१९५२–५३ ४	१९५३–५४ ५
		रु०	रु०	रु०
१.	दीवालपाइ मान्डो द्वितीय	१२,२६१ । १२ ।	=	=
२.	भगतपुरा तालाब	१,६२० ।	=	=
३.	कंथारिया तालाब	६०,८५ ।	=	=
४.	बोसावाला तालाब	१८,५५ ।	=	=
५.	कारनगोला तालाब	१,३७१ ।	=	=
६.	देवली पाल तालाब	६,२१४ । ७ ।	=	=
७.	बुचिया तालाब	७,३८१ । ४ ।	=	=
८.	पीराट तालाब	२०,२५३ । १० ।	७०४१	=
९.	बीनाला तालाब	१,८४२ ।	२,९७४	=
१०.	लोहारिया तालाब	१,५७९ ।	=	=
११.	लोठा तालाब	१,४२० ।	३,५६५ ।	=
१२.	कोटरिया तालाब	६४८ ।	=	=
१३.	मोरलिया तालाब	९५३ ।	=	=
१४.	कुनवाला तालाब	१,००२ ।	=	६,२६३ ।६।
१५.	डेडलास तालाब	६९६ ।	=	=
१६.	कोयडी बूंद	१,१६६ ।	=	=

सी० नम्बर १	तालाब का नाम २	वास्तविक खर्च १९५१–५२ ३	१९५२–५३ ४	१९५३–५४ ५
		रु०	रु०	रु०
१७.	रामपुरा तालाब	८,४५४ ।	=	=
१८.	थाकरडी तालाब	१२,५३६ ।	=	=
१९.	पाठोली तालाब	४,५६६ । ५ । ६ ।	=	=
२०.	पालोडा तालाब	६३८ ।	=	=
२१.	रानोली तलाब	५,८७१ ।	१०,७३२	=
२२.	मेदू तालाब	=	३,३०६	=
२३.	पंचायती तालाब	=	७,६६८	=
२४.	गोधवा तालाब	=	७.६०० ।१२।	=
२५.	नाथीला तालाब	=	४,३३६	=
२६.	गामडी मीता	=	४,२२४ ।८।	=
२७.	कुपडा तालाब	=	२,८५०	=
२८.	वांडवास तालाब	=	२.००५	=
२९.	कुशालपुरा तालाब	=	३.३२०	=
३०.	मोथाल का पारडा तालाब	=	४,३२६	=
३१.	सैनवासा तालाब	=	२,४११	=
३२.	मायागांव तालाब	=	३,६५१	=
३३.	मोढवाडिया तालाब	=	४,०७७	=
३४.	पालवारिया तालाब	=	२,४४४	=
३५.	बादीवाला तालाब	=	१६,२८	=

Page No.73

सी० नम्बर १	तालाब का नाम २	वास्तविक खर्च १९५१–५२ ३	१९५२–५३ ४	१९५३–५४ ५
		रु०	रु०	रु०
३६.	सरवानिया तालाब	=	१,३८५	=
३७.	तेजपुरा तालाब	=	१,१२१	=
३८.	मरम्मत मादरी तालाब	४,५१६ |२|	=	=
३९.	सांसलपुर तालाब	=	=	७,९९९ |८|
४०.	रास्ता तालाब	=	=	३२०,२० |१|
४१	वीर तालाब	=	=	१५,८५६ |७|
४२.	मोरली ऊपली तालाब	=	=	६,९७२
४३.	सुदसार तालाब	=	=	४,८२७
४४.	बालिया तालाब	=	=	३,१६६
४५	पान मोरी तालाब	=	=	१०,०६५ |७|
४६.	नरसिंह माटा तालाब	=	=	५,९४२ |१३|
४७	फोटा तालाब	=	=	१,९७४
	कुल जोड़:	१,०५,६५६ | ८ | ६	८१,७०० | ४ |	१,०३,११६ | १३ |